

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

खेल उप-विधि SPORTS BYE-LAWS

टेबल-टेनिस

TABLE TENNIS

- सदस्य एवं आम्रित सदस्य निम्नलिखित समय के अनुसार खेल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अतिथि और आकस्मिक सदस्य निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करने पर खेल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- Members & dependants may use the facility as per timings given below. Guests and casual members may also use the facility on payment as per prescribed rates.
- खेलने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को परिचर के यहां रखे रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने का समय लिखना होगा।
- All those intending to play will enter their names and membership numbers at the time of arrival in the Register maintained with the Attendant.
- परिसर के कर्मचारियों द्वारा माँगे जाने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना होगा।
- Membership card/receipts of payment should be shown on demand to the complex official.
- खेलने की प्राथमिकता :- खेलने की प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधार पर होगी। परिचर, टेबल के समुचित उपयोग का पर्यवेक्षण करेगा। भीड़ होने पर सिंगल्स खेलने की अनुमति नहीं होगी और इसके स्थान पर डबल्स खेलने की अनुमति होगी।
- Priority of Play**— Playing is permitted on "first come first serve" basis. Attendant will supervise proper use of tables. In the event of rush, "singles" may not be permitted and instead "doubles" will be allowed.
- खेलने की अवधि 20 मिनट की होगी अथवा एक गेम, जो भी पहले हो, वह होगी। तैयारी (वार्मिंग अप) का समय अधिकतम 3 मिनट का होगा जो 20 मिनट में शामिल होगा।
- Period of Play**— Play is permitted for 20 minutes or one game whichever is earlier. Warming up time is a maximum of 3 minutes inclusive in 20 minutes.
- प्लेयिंग गियर :- खेलने के लिए खिलाड़ी को अपना टेबल टेनिस बैट और बाल स्वयं लानी होगी।
- Playing Gear** :- Own table tennis bats and balls will be brought by the players.
- वर्दी (ड्रेस) :- खेलने के लिए शार्ट्स/ट्रेक लोअर, टी-शर्ट, और स्पोर्ट्स शूज पहनने होंगे।
- Dress**— Short/track lower, T-shirt and sport shoes are permitted while playing.
- धूम्रपान :- टी.टी. हॉल के अन्दर धूम्रपान करना सख्त मना है।
- Smoking** — Smoking is strictly prohibited inside the TT Hall.
- निम्नानुसार कृपया ध्यान रखें :-
- Proper decorum is to be observed as under :-
(क) यदि टेबल का प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो लाइटें बन्द कर दें।
(a) When table is not in use, switch off the lights.
(ख) शान्ति बनाए रखें।
(b) Observe silence.
(ग) खेल समय समाप्ति पर टेबल खाली कर दें।
(c) Vacate the table on completion of the game/time.
(घ) वर्दी के विनियमों का ध्यान रखें।
(d) Observe dress regulations.
(ङ) अपना नाम सदस्यता संख्या और आने का समय दर्ज करें।
(e) Register your name and membership no. along with arrival time.
(च) दीवार के साथ लग कर खड़े न हों। उपलब्ध कराई गई कुर्सियों पर ही बैठें।
(f) Do not stand along the sides of the walls. be seated on the chairs provided.
- समय :
- TIMINGS :-**
गर्मियों में :- (1 मार्च से 30 नवम्बर तक)
SUMMER— (1st March to 30th Nov.)
पूर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 9 बजे
6.00 AM to 9.00 PM
सर्दियों में :- (1 दिसम्बर से 28 फरवरी)
Winter— (1st Dec. to 28th Feb.)
पूर्वाह्न 6.30 बजे से अपराह्न 8.30 बजे
6.00 AM to 8.30 PM
(सोमवार अवकाश)
(Monday closed)

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

बैडमिन्टन

BADMINTON

1. सदस्य एवं आश्रित सदस्य बैडमिन्टन कोर्ट में निम्नलिखित समय के अनुसार खेल सकते हैं।
1. Members & dependants may play in the badminton courts per timing given below.
2. आकस्मिक सदस्य एवं अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करने पर कोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि, आराह्न 6 बजे एवं अपराह्न 7 बजे के बाद क्रमशः सर्दियों एवं गर्मियों में उन्हें कोर्ट के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
2. Casual members & guests may use the courts on payment for the day as per prescribed rates. They will however, not be permitted to use the courts after 6 PM & 7 PM in winter & summer respectively.
3. खेलने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने का समय परिचर के पास रखे रजिस्टर में लिखना होगा। सदस्यता कार्ड/ रसीद परिचर को दिखानी होगी।
3. All those intending to play will enter their name, membership number & arrival time in register maintained with the attendant. Membership Card/Receipt of payment should be shown to the attendant.
4. खेलने की प्राथमिकता :- यह पहले आओ, पहले खेलो आधार पर होगी। आने के रजिस्टर की क्रम सं. के अनुसार परिचर कोर्ट में खेलने देंगे।
4. **Priority of Play**— It will be on "first come first serve" basis. Attendant will allot the court as per serial no on the arrival register.
(क) कोर्ट नं. 1 सदस्यों के लिए सुरक्षित है। अगर कोर्ट खाली हों तो दूसरे खेल सकते हैं पर मेम्बर्स के आने पर खाली करना पड़ेगा।
(a) No. 1 Court for Members only however if Courts are unoccupied, other may play but vacat on arrival of legitimate Category.
(ख) कोर्ट नं. 2—सभी के लिए
(b) No. 2 Court — for open to all.
5. खेल की अवधि :- खेल की अवधि 20 मिनट अथवा एक गेम, जो भी पहले हो, वह होगी। 3 मिनट का समय वार्मिंग अप का होगा जो 20 मिनट की अवधि में शामिल होगा।
5. **Period of play** – 20 minutes or one game whichever is earlier; 3 minutes warming up is permitted. This is inclusive in overall time of 20 minutes.
6. सिंगल्स :- यदि कोई डबल्स के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, तो सिंगल्स खेला जा सकता है।
6. Singles will only be played if no "doubles" is waiting.
7. स्पोर्ट्स गियर :- खिलाड़ियों को अपना रैकेट और शटल कौंक स्वयं लानी होगी।
7. **Sports Gear** – Own rackets and shuttle cocks are to be brought by the players.
8. वर्दी :- शॉर्ट अथवा ट्रैक लोअर, टी शर्ट एवं स्पोर्ट्स शूज सहित।
8. **Dress** – Short or track lower with T-shirt & sports shoes.
9. समय :-
9. **TIMINGS :**
गर्मियों में :- (1 मार्च से 30 नवम्बर तक)
SUMMER— (1st March to 30 th Nov.)
पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक
6 AM to 10 AM & 3 PM to 9 PM
सर्दियों में :- (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक)
Winter— (1st Dec. to 28th Feb)
पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक
6.30 AM to 11 AM & 2 PM to 8.30 PM

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

स्क्वॉश

SQUASH

1. सदस्य एवं आश्रित सदस्य निम्नलिखित समय के अनुसार परिसर का उपयोग कर सकते हैं।
1. Member & dependants may use the complex courts as per timings given below.
2. आकस्मिक सदस्य एवं अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तथापि उनको अपराह्न 6 बजे और 7 बजे क्रमशः सर्दियों में और गर्मियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगी।
2. Casual members & guests may use the court on payment for the day as per prescribed rates. They will however, not have any priority after 6 PM and 7 PM in winter and summer respectively.
3. खेलने के इच्छुक सभी खिलाड़ियों को परिचर/मार्कर के यहां रखे रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या और आने का समय लिखना होगा।
3. All those intending to play will enter their name, membership no. & arrival time in the register maintained with the attendant/marker.
4. परिचर को सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4. Membership Card/Receipt of payment should be shown to the attendant.
5. खेलने की प्राथमिकता :- यह पहले आओ, पहले खेलो आधार पर होगा। परिचर/मार्कर कोर्ट का समय देगा।
5. **Priority of Play**- It will be on "first come first serve" basis. Attendant/Marker will allot the court.
6. खेलने की अवधि :- 20 मिनट अथवा एक गेम, जो भी पहले समाप्त हो व होगी। 3 मिनट से अधिक समय का 'नॉकिंग समय' नहीं होगा, जो 30 मिनट खेलने की अवधि में शामिल होगा।
6. **Period of Play** - 30 minutes or one game, whichever is earlier. Not more than 3 minutes knocking/warming up time is permitted which will be inclusive of 30 minutes period of play.
7. आरक्षित कोर्ट :- सर्दियों और गर्मियों में क्रमशः अपराह्न 6 बजे और अपराह्न 7 बजे के पश्चात केवल कोर्ट नं. 1 प्रत्येक सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगा।
7. **Reserved Courts** - No. 1 court will be reserved for individual members only after 6.00 PM and 7.00 PM in winter and summer respectively.
8. स्पोर्ट्स गिअर :- खिलाड़ियों को अपना स्क्वॉश रैकेट एवं बॉल स्वयं लानी होगी।
8. **Sports Gear** - Own squash rackets balls have to be brought by the players.
9. वर्दी :- खेलने के लिए केवल सफेद शर्ट, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने की अनुमति होगी। ट्रैक सूट केवल वार्मिंग अप के लिए पहनना होगा। रंगीन सोल के जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी।
9. **Dress** - White shorts/T-Shirt and sports shoes are only permitted for play. Track suit may only be worn for warming up. Coloured soled shoes are not permitted.
10. कोर्ट में जाने से पहले सदस्य को अपने जूते साफ करने होंगे।
10. Members will wipe their shoes before entering in the court.
11. धूम्रपान :- कोर्ट अथवा दर्शक-दीर्घा में धूम्रपान करना मना है।
11. Smoking is not permitted in the court or in the spectators gallery.
11. समय :-
12. **TIMINGS** :
गर्मियों में :- (1 मार्च से 30 नवम्बर)
Summer - 1st March to 30th Nov.
पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 2.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
6 AM to 10 AM & 2.30 PM to 9 PM.
- सर्दियों में :- (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक)
Winter - 1st Dec. to 28th Feb.
पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।
6.30 AM to 11 AM & 2 PM & to 8.30 PM

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

बिलियर्ड्स / स्नूकर

BILLIARDS / SNOOKER

1. बिलियर्ड्स कक्ष की सुविधा केवल सदस्यों, उनके आश्रित सदस्यों, अस्थायी/आकस्मिक/अतिथि सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
1. Facilities of Billiard room are available to members, their dependants, temporary/casual/guest members.
2. बिलियर्ड्स कक्ष में 12 वर्ष से कम आयु के आश्रित सदस्यों को आने की अनुमति नहीं है।
2. Dependants below the age of 12 years are not allowed in the billiard room.
3. सदस्यों को मार्कर/परिसर के कर्मचारी को अपना कार्ड/दिन की भुगतान रसीद दिखानी होगी और खेलने से पूर्व रजिस्टर में सदस्यता/समय इत्यादि का विवरण दर्ज करना होगा।
3. Members will be required to show their cards/payment receipts of the day to the marker/complex official and enter the details of membership/timings etc in the register kept for the purpose.
4. टेबल का उपयोग करने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी से प्रत्येक आधे घंटे के 20/- रु. लिए जाएंगे, चाहे कितनी भी गेम हों अथवा खिलाड़ी हो। भुगतान नकद/कूपन (जो टेबल की बुकिंग करते समय स्वागत कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है) के द्वारा किया जाएगा।
4. A charge of Rs. 20/- (subject to change) per half hour per player will be levied for the use of a table irrespective of kind of game or number of players. Payment will be by cash/coupons which can be obtained from the reception at the time of booking the table.
- 4.1 लाइट जाने अथवा अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, यदि खेल सम्भव नहीं होता है, तो रुपये वापस नहीं किए जाएंगे।
- 4.1 No refund of money will be made if lights go off or due to some other unforeseen circumstances, play is not possible.
5. यदि अन्य सदस्य टेबल की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई भी सदस्य मार्कर के साथ गेम शुरू नहीं करेगा परन्तु जो गेम पहले ही शुरू किया जा चुका है, उसे पूरा करना होगा। मार्कर के साथ खेलने वाला सदस्य, गेम के लिए भुगतान करता है।
5. No member will start the game with the marker when other members are waiting for a table but a game which has been commenced earlier may be permitted to be completed. A member playing with the marker, pays for the game.
6. यदि टेबल पर पहले ही खेल चल रहा है, तो खेलने के इच्छुक खिलाड़ी उपलब्ध कराये गए बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करें और पहले से चल रहे खेल की समाप्ति पर उपस्थित रहें अन्यथा उनकी बारी खत्म हो जाएगी।
6. When the table is already occupied, members desirous of playing shall enter their name on the register provided for the purpose. They must be present on completion of the previous game, otherwise their turn will be forfeited.
7. टेबल किसी भी प्रकार के गेम के लिए 30 मिनट से अधिक समय के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।
7. A table may not be reserved for any sort of game for more than 30 minutes.
8. यदि खिलाड़ी इस तरह से खेलता है कि टेबल को क्षति पहुँचती है, तो मार्कर को गेम को रोकने और खिलाड़ी को आगे न खेलने देने का अधिकार होगा।
8. In case a player plays in a manner which is likely to cause damage to the table, the marker is empowered to stop the game and not permit the person to play any further.
9. खिलाड़ियों को टेबल पर बैठने, लेटने अथवा उस पर ग्लास रखने की अनुमति नहीं है।
9. Players are not permitted to sit, lie or place glasses on the table.
10. बिलियर्ड्स कक्ष में घूमपान करना चाय, कोल्डड्रिंक पीना सख्त मना है।
10. Smoking, eatables, tea, cold drinks etc are strictly prohibited in the billiards room.
11. यदि खेल चल रहा होगा तो दर्शकों को शान्ति बनाए रखनी होगी।
11. Spectators are required to observe silence when the play is in progress.
12. यदि सदस्य अथवा उसके आश्रित सदस्य अथवा उसके अतिथियों अथवा आकस्मिक सदस्य द्वारा टेबल अथवा उसके कपड़े को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो सदस्य को नुकसान की पूर्ति करनी होगी। यदि अधिक नुकसान किया गया तो मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित

की गई राशि का उसे भुगतान करना होगा । यदि मैनेजमेंट को यह लगे कि जान-बूझ कर नुकसान किया गया है, तो मूल्य से 6 गुना राशि वसूल की जाएगी ।

12. In case of any damage caused to the table or its cloth either by a member or his dependants, guests or by a casual member, the member will be responsible to make good the loss. If the damage so caused is a major one, he will be charged such amount as the management may determine. If in the opinion of the management, the damage was wilful, then upto six times the value may be charged.

13. कोचिंग :- मार्कर को कोचिंग देने की अनुमति है । कोचिंग फीस प्रति आधे घंटे 10/- रु. होगी । गर्मियों में कोचिंग का समय पूर्वाह्न 11 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक और सर्दियों में पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे तक होगा ।

13. **Coaching** - Markers are permitted to coach. Coaching fee will be Rs. 10/- per half hour. Coaching timings will be from 11 AM to 1 PM in summer and 10.30 AM to 12.30 PM in winter.

14. समय :- सोमवार अवकाश वाले दिन को छोड़कर प्रतिदिन निम्नलिखित घंटों के दौरान बिलियर्ड्स कक्ष खोला जाएगा :-

14. **Timings** - Billiards room will remain open during the following hours daily except Monday.

गर्मियों में :- (पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक)

Summer Timings - 11 AM to 9 PM

सर्दियों में :- (पूर्वाह्न 10.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक)

Winter Timings - 10.30 AM to 8.30 PM

भोजनावकाश :- (अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक)

(Lunch break - 1 PM to 2 PM)

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

ताइक्वांडो / कराटे

TAEKWONDO/KARATE

1. सदस्य, उनके आश्रित निर्धारित फीस का भुगतान कर के ताइक्वांडो/कराटे की कक्षाओं में भाग ले सकते हैं।
1. Members, their dependants may join Karate/ Taekwondo classes on payment of prescribed fee.
2. ताइक्वांडो/कराटे की कक्षाएं प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अपराह्न 5 बजे से अपराह्न 6.30 बजे (सर्दियों में) और अपराह्न 6.00 बजे से अपराह्न 7.30 बजे (गर्मियों) के बीच आयोजित की जाएगी।
2. Taekwondo/Karate classes will be conducted on every Tuesday, Thursday and Saturday between 5 PM to 6.30 PM (winter) and 6 PM to 7.30 PM (summer).
3. खिलाड़ियों/भाग लेने वालों को खेल शुरू होने से दस मिनट पूर्व अभ्यास मैदान में उपस्थित होना चाहिए।
3. Players/participants should be present in the practice area ten minutes before commencement time.
4. वर्दी (ड्रेस)
4. Dress
- (क) भाग लेने वालों को अपनी सफेद ताइक्वांडो/कराटे वर्दी में ही आने की अनुमति है।
- (a) Participants are permitted to attend only in proper whites Karate Taekwondo uniform.
- ख) अपनी वर्दी लाना आवश्यक है।
- (b) Own uniforms are required to be brought.
- ग) अभ्यास क्षेत्र में जूते पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (c) No shoes shall be allowed inside the practice area.
5. भाग लेने वालों की अंगुलियों/अंगूठे के नाखून ठीक कटे होने चाहिए।
5. Finger/toe nails of participants should be properly cut.
6. भाग लेने वालों के अतिरिक्त किसी को भी अभ्यास क्षेत्र के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दर्शक क्षेत्र से बाहर बैठ कर देख सकते हैं।
6. Nobody except participants shall be allowed inside the practice area. Spectators may watch from outside the arena.
7. खेल क्षेत्र के अन्दर धूमपान सख्ती से वर्जित है।
7. Smoking is strictly prohibited inside the playing area.
8. कक्षा में नियमानुसार सख्त अनुशासन रखा जाएगा। किसी खिलाड़ी को दुर्व्यवहार के लिए अथवा नियमों का अनुपालन न करने के लिए अभ्यास रोकने अथवा बाहर निकालने का अधिकार कोच/प्रभारी के पास सुरक्षित होगा।
8. Strict discipline as per rules will maintained in the class. Coach/incharge reserves the right to stop practice or expel a player for misbehaviour or for not observing the rules.
9. भाग लेने वालों/अभिभावकों द्वारा प्राधिकृत स्टाफ को निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और रसीद प्राप्त करनी होगी। कोचिंग कक्षा में जाने के लिए यह रसीद प्राधिकृत होगी।
9. The prescribed fee will be paid by the participants/ parents to the authorised staff of the complex and receipt obtained. The receipt will be authority for admission to the coaching class.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

क्रिकेट

CRICKET

1. क्रिकेट मैदान पर एक मुख्य पिच है, जो खेलों के लिए एक दिन हेतु सदस्यों और प्रतिष्ठित क्लबों के लिए किराये पर उपलब्ध है। यह पिच अभ्यास हेतु उपलब्ध नहीं है। यहां 3 अभ्यास पिचें अभ्यास हेतु हैं।
1. There is one main pitch on the cricket ground, which is available to members and reputed clubs/firms on hire for a day for matches. This main pitch is not available for practice. There are three practice pitches for the practice purposes.
2. ये उप-विधि मुख्यतः क्रिकेट मैदान पर मुख्य पिच हेतु हैं।
2. These bye-laws are primarily for the main pitch on the cricket ground.
3. शनिवार रविवार एवं अवकाश के दिनों के लिए मुख्य पिच का एक दिन का किराया 2500/-रु. है, तथा सप्ताह के दिनों (अवकाश को छोड़कर) के लिए 2000/-रु. एवं ग्राउन्ड्समैन के लिए 100/-रु.। ये प्रभार परिवर्तनीय हैं और इनका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/पेआर्डर के द्वारा एन.एस.एस.सी. डी.डी.ए. के पक्ष में अथवा नकद किया जा सकता है। खराब मौसम अथवा अन्य किसी कारण के होने पर पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।
3. Hire charges of main pitch for one day are Rs. 2,500/- for Saturday, Sunday & holidays and Rs. 2,000/- for week days (other than holidays) plus Rs. 100/- for groundsmen. These charges are subject to change and will be paid at the time of booking by Bank Draft/Pay Order in favour of "NSSC-DDA" or in cash before the play. No refund will be made if the play is not possible due to bad weather or any other reason.
4. बुकिंग अग्रिम रूप में कराई जानी है और किराया प्रभार बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/ अथवा नकद भुगतान करके किया जाना है।
4. Booking has to be done in advance and hiring charge should be paid by Bank Draft/Pay Order/Cash.
5. तथापि, मैच से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। मैदान को किराये पर देने का अधिकार प्रबंधकों के पास सुरक्षित है।
5. Booking, however, has to be reconfirmed two days prior to the match. Rights of giving the ground on hire are reserved with the management.
6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी :-
6. The following will be provided :
(क) रोल की हुई पिच
(a) Pitch rolled
(ख) बाउण्ड्री पर लाइन के साथ मार्किंग
(b) Making of boundary with line
- (ग) स्कोर बोर्ड
(c) Score Board.
7. बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
7. No seating arrangement will be provided.
8. परिसर में भोजन नहीं पकाया जाएगा।
8. food will not be cooked within the premises.
9. क्रिकेट मैदान में धूमपान की अनुमति नहीं है।
9. Smoking in the cricket field is not permitted.
10. मदिरा पान करने पर सख्त रोक है।
10. Consumption of alcoholic beverages is strictly prohibited.
11. ड्रेस-खेलने के लिए समुचित ड्रेस पहननी होगी।
11. Proper cricket dress will be worn to play.
12. खेल उपकरण/साज-सामान-टीम को खेल उपकरण/साज-सामान अपना लाना होगा।
12. Playing equipment/Gear-The team has to bring its own sports equipment/gear.
13. बैनर विज्ञापन- जब तक मैनेजमेंट से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है।
13. Banners/Advertisement- Putting up of banners/ advertisement boards is not permitted unless specific permission in writing is obtained.
14. मैदान में शामिआने/टेंट लगाने की अनुमति नहीं है। अधिकतम 50 व्यक्तियों के लिए स्टाफ द्वारा निर्धारित मैदान पर एक तरफ सीटों की व्यवस्था टीम द्वारा की स्वयं की जा सकती है। बोर्ड की बैठकें अथवा अन्य कार्य के लिए दिये जाने वाले रात्रि भोजन/दोपहर के भोजनों की अनुमति नहीं है।
14. Pitching of shamianas and tents in the field is not permitted. Sitting arrangement on a side as indicated on the ground by the staff for a maximum of 50 persons may be made under team's own arrangements. Dinners/ lunches being hosted for Board meetings or other functions are not allowed.
15. मैदान में वाहनों को लाने की अनुमति नहीं है।
15. No vehicles are allowed on the ground.
16. परिसर के बाहर से खाने का सामान चाय, काफी, कोल्ड-ड्रिंक इत्यादि नहीं ला सकते। वह केवल परिसर के कैफेटेरिया से ही लेना होगा।
16. food items, tea, coffee, cold drinks etc will not be brought from outside the complex. They may be procured from the complex cafeteria.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

क्रिकेट प्रैक्टिस पिच

CRICKET - PRACTICE PITCHES

- यहाँ 3 क्रिकेट अभ्यास पिच हैं। 2 घास टर्फ की और दूसरी सीमेंट की। सदस्यों एवं प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों हेतु समय, प्रभार इत्यादि निम्नानुसार है :-
 - There are three practice pitches, two are of turf and the third one is cemented. The timings, charges etc for members & reputed clubs/firms are as under :-
- सदस्यों हेतु-सोमवार (अवकाश) को छोड़ कर सदस्यों को सभी दिनों में अभ्यास के लिए सीमेंट वाली पिच उपयोग करने की अनुमति है।

For Members - Members are permitted to use the cemented pitch for practice on all days except on Monday (close day).
- प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों सदस्यों हेतु-प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों सदस्यों के लिए घास की पिच प्रतिदिन 3 घंटों के लिए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अभ्यास के लिए 400/- रु. के भुगतान पर सोमवार को छोड़कर शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों पर उपलब्ध है एवं सप्ताह के दिनों (परिवर्तनीय) के लिए 200/- रु. के भुगतान पर उपलब्ध है। इसका भुगतान बुकिंग के समय बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यास करने से पूर्व ग्राउंड्समैन के लिए 50/- रु. का भुगतान करना होगा। प्रभार परिवर्तनीय है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। खराब मौसम होने पर राशि वापिस नहीं की जाएगी।

For Reputed Clubs/Firms/Members-The turf pitch will be available to reputed clubs/firms/members on hire for three hours a day for practice between 10.00 AM to 4.00 PM except Monday on payment of Rs. 400/- for Saturday, Sunday and holidays & Rs. 200/- for week days (subject to change) which is to be paid by Bank Draft or cash at the time of booking. In addition, a payment of Rs. 50/- for groundsmen will have to be made before the practice. The charges are subject to change and may be revised from time to time. No refund will be made due to bad weather.
- बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद भुगतान द्वारा किया जाना चाहिए।
- Booking has to be done in advance and hiring charges should be paid by Draft or in cash.
- तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए अभ्यास पिच को किराए पर देने का अधिकार प्रबंधकों के पास सुरक्षित है।
- Booking, however, has to be reconfirmed two days prior to the practice. Rights of giving the practice pitch on hire are reserved with the management.
- अभ्यास की पिचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।
- The practice pitches are meant for practice only. It shall not be used for private coaching. If any person is found conducting private coaching, he shall be debarred the use of the complex facility.
- अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र में ही रहेंगे। आबटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हरित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
- The users shall be restricted only within the practice pitch area earmarked for the purpose. They must leave the pitch after the allotted time/period is over. They are not allowed in other facility areas/green areas.
- निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी :-
- The following will be provided :
 - रोल की हुई पिच
 - Pitch rolled
 - अभ्यास पिच के चारों ओर जाल
 - Net around the practice pitch.
- किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
- No seating arrangement will be provided.
- परिसर के अन्दर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमति नहीं है। धूम्रपान और मदिरापान पर सख्त रोक है।
- Preparation/warming of food is not allowed within the premises. Smoking and consumption of alcoholic beverages is strictly prohibited.

9. ड्रेस-अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी ।
9. **Dress.** - Proper cricket dress will be worn for practice.
10. खेल उपकरण/साज सामान-टीम को खेल उपकरण/साज-सामान अपना लाना होगा ।
10. **Playing Equipment/Gear** - Players will have to bring their own sports equipment/gear.
11. बैनर/विज्ञापन-जब तक प्रबंधकों से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती, बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है ।
11. **Banners/Advertisement** - Putting up of banners/ advertisement boards is not permitted unless specific permission in writing is obtained from the Management.
12. मैदान में शामिआने और टेंट लगाने की अनुमति नहीं है ।
12. Pitching of Shamianas and tents in the field is not permitted.
13. मैदान में वाहन लाने की अनुमति नहीं है ।
13. No. vehicles are allowed on the ground.
14. परिसर के बाहर से खाने का समान, चाय, काफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि नहीं ला सकते । वे केवल परिसर के कैफेटेरिया से ही लेना हो ।
14. Food items, tea, coffee, cold drinks etc will not be brought from outside the complex. They may be procured from the complex cafeteria.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

हॉकी/फुटबाल

HOCKEY/FOOTBALL

1. सदस्यों एवं आश्रितों के लिए हॉकी/फुटबाल मैदान निम्न समयानुसार उपलब्ध है :-
 1. Hockey/Football ground is available to members & dependants for playing as per timings given below :-
- समय :-

Timings :-

पूर्वाह्न 7.00 से पूर्वाह्न 9.00 बजे तक (सर्दी/गर्मी)
अपराह्न 3.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक (सर्दी)
7.00 AM to 9.00 AM (Winter/Summer)
3.00 PM to 5.00 PM (Summer)
2. रखरखाव हेतु कुछ अवधि के लिए खेल मैदान को खोलना बन्द रखा जा सकता है, जिसकी सूचना पहले दे दी जाएगी ।
 2. Ground may be put out of play for maintenance for certain period which will be notified in advance.
3. खिलाड़ी/टीम द्वारा हॉकी स्टिक और बाल/फुटबाल लाई जाएगी ।
 3. Own hockey stick and ball/football has to be brought by individual/team.
4. दिन के समय में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक के मध्य होने वाले खेलों के लिए हॉकी/फुटबाल मैदान का उपयोग किया जाएगा ।
 4. Hockey/Football ground will be used for organised games during day time between 10.00 AM to 3.00PM.
5. शाम के समय, संगठित टीमों/मैचों हेतु मैदान देने का अधिकार प्रबन्धकों के पास होगा ।
 5. Management reserves the right to allot the ground for organised teams/matches in the evening.
6. ड्रेस - निर्धारित किट अर्थात् शॉर्ट, शर्ट, स्पोर्टशूज की ही अनुमति है । केवल खेल की अवधि से पहले ट्रैक सूट पहना जा सकता है ।
 6. Dress - Proper kit i.e. short, shirts and sports shoes are only permitted. Track suit may be worn during warming up period only.
7. खेल मैदान में धूम्रपान की अनुमति नहीं है ।
 7. Smoking is not permitted in the play field.
8. खेल के दौरान और कॉम्प्लेक्स के क्षेत्र में अनुशासन और खेल मर्यादा रखी जाएगी । परिसर नियमों/उप-विधि का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को खेल सुविधा के उपयोग से वंचित किया जा सकता है ।
 8. Discipline and playing decorum will be maintained during the play and within the premises of the Complex. Any infringement of Complex Rules/Bye-laws may debar a person from the use of facility.
9. कोचिंग :- जब कभी कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी, उसके लिए विशिष्ट उप-विधि अधिसूचित की जाएगी ।
 9. Coaching - Whenever coaching facility is made available, specific Bye-laws will be notified for the same.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

एरोबिक्स

AEROBICS

1. सदस्य एवं आश्रित निर्धारित शुल्क का भुगतान करके एरोबिक्स कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। कक्षाओं में रिक्तियों की उपलब्धता होने पर निर्धारित भुगतान करके गैर सदस्यों को भी अनुमति दी जा सकती है।
1. Memnners and dependants may join Aerobics classes on payment of prescribed fee per month. Non-members may be permitted on paymnet of fee subject to availability of vacancies in the class.
2. मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष में किया जाएगा, जिसके लिए भागीदार द्वारा रसीद प्राप्त की जानी चाहिए।
2. Payment of monthly charge should be made at the reception for which receipt should be obtained by the participant.
3. एरोबिक्स कक्षाएं सप्ताह में पांच दिन (रविवार और सोमवार अवकाश दिवस) लगेंगी।
3. Aerobics classes will be conducted 5 days a week (Sunday and Monday being observed closed days)

गर्मी का समय

Summer Timings

प्रातः 6.15 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक और सायं 5.15 से 8.15 बजे रात्रि तक।

6.15 AM to 11.30 AM and 5.15 PM to 8.15 PM

सर्दी का समय

Winter Timings

प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 8.30 बजे तक और सायं 4.15 से 7.30 बजे रात्रि तक।

6.30 AM to 8.30 AM and 4.15 PM to 7.30 PM

4. एरोबिक्स अनुदेशक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। भाग लेने वालों से अनुरोध है कि कक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व पहुँचें।
4. Attendance will be marked by the Aerobics instructor. Participants are requested to arrive 10 minutes earlier than the start of class.
5. ड्रेस :- उचित खेल वस्त्र अथवा एरोबिक्स ड्रेस पहनी जाए।
5. Dress - Decent sports wear or Aerobics dress may be worn.
6. कक्षा क्षेत्र के अन्दर, केवल भाग लेने वालों को अनुमति है।
6. Only participants are permitted inside the class area.
7. कक्षा क्षेत्र के अन्दर धूम्रपान वर्जित है।
7. Smoking is strictly prohibited inside the class area.
8. नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। अभ्यास रोकने अथवा दुर्व्यहार अथवा नियमों की अवहेलना करने के लिए किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार कोच/अनुदेशकों को सुरक्षित होगा।
8. Strict discipline as per rules should be maintained in the class. Coach/instructor reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehaviour or for not observing the rules.

उक्त सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध-पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता कार्ड जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।

30.1 Members who may be remaining temporarily out of Delhi/Country for a minimum period of three months at a time may apply for absentee (outstation) membership. This will commence only from the date of their departure and subject to the receipt of written communication along with documentary proof in the form of office order, transfer certificate, passport/visa etc. Absentee (outstation) membership will be approved on the surrender of cards which can be reclaimed on return by the member.

30.2 सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि, यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश से बाहर ठहरे हुए हों तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रूप में पृथक् से अनुमति दी जा सकती है।

30.2 Dependants will also be treated as outstation absentee members along with the member. Dependents, however, can be granted permission for being outstation absentee members separately if they are staying outside for studies etc. subject to providing proof and surrendering of cards.

30.3 किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।

30.3 Not using the complex for any reason is no excuse for claiming absentee (outstation) membership.

30.4 उप नगरों जैसे-नोएडा, फरीदाबाद, गुडगांव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।

30.4 Satellite towns like Noida, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, Bahadurgarh are treated as being within Delhi.

30.5 अनुपस्थित सदस्य और प्रत्येक आश्रित के लिए मासिक अंशदान उक्त पैरा-20 में निर्धारित है।

30.5 Monthly subscription for absentee member and dependants is prescribed at Para 20 above.

30.6 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता की अनुमति अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए दी जा सकती है।

30.6 Absentee (outstation) membership will be granted for a maximum period of five years continuously.

30.7 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। वह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।

30.7 Absentee (outstation) membership will not be granted ex post-facto. It will commence from the date of receipt of written request & completion of usual formalities.

31. सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग

31. Use of Complex by Govt./recognised Schools/Colleges/Institutions.

स्कूलों/महाविद्यालयों को परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की अनुमति बैच बुकिंग आधार पर एक माह की अवधि के लिए दी जा सकती है। यह अनुमति खेलों, जैसे-बास्केट बाल, फुटबाल, हाकी, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, आदि के लिए समय-समय यथा निर्धारित नाम मात्र के प्रभार पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्रति घंटा/प्रति माह के आधार पर है। यह अनुमति मैदान उपलब्ध होने पर दी जाएगी।

Permission to Schools/Colleges to use the facilities of the complex can be granted on batch booking basis for a period of one month. This is applicable to games like Basketball, Football, Hockey, Table-Tennis, Badminton, Squash etc on nominal charges as fixed from time to time for each category per hour per month. This permission will be granted subject to availability of grounds/courts/tables.

32. नियमों और उप-विधि की प्रतियां

32. Copies of Rules & Bye-Laws

32.1 परिसर के प्रशासनिक कार्यालय में संदर्भ के लिए नियमों और उप-नियमों की प्रति उपलब्ध होगी और इनकी प्रति परिसर के सदस्यों द्वारा मांग करने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।

32.1 A copy of the rules and by-laws will be available in the Complex Administrative office for any reference and shall be furnished to members of the complex on payment of prescribed fee.

32.2 परिसर की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधियों को मानने के लिए बाध्य है।

32.2 Any person who has taken up membership of the complex is bound by the rules, regulations and bye-laws of the complex.

33. गैर सदस्य छात्रों द्वारा खेल सुविधाओं का उपयोग

33. Utilisation of Sports facilities by students who are not members.

"छात्रों को अपना पहचान-पत्र दिखाकर खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक लाभ उठाने की अनुमति है, जिसके लिए उन्हें 10/- रु प्रति दिन अथवा 200/- रु प्रति माह या शुल्क की यथा संशोधित दरों का भुगतान करना होगा। तथापि, उन पर परिसर के अन्य नियम एवं विनियम और उप-नियम लागू होंगे।"

Students are permitted to use sports facilities at sports complex between 10.00 AM to 4.00 PM on production of their Identity Card and subject to payment of Rs. 10/- per day or Rs. 200/- per month or as revised rates of fee. Other rules and regulations & bye-laws of the complex will remain the same for them.

34. प्रशिक्षण

34. Coaching

परिसर में कुछ खेलों में प्रशिक्षण उपलब्ध है। परिसर में समय-समय पर योग्य प्रशिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं। प्रशिक्षण कक्षाओं और शुल्क का विवरण खेल-परिसर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Coaching in certain disciplines is available in the complex. The complex has engaged the services of qualified coaches from time to time. Details of coaching classes & fee can be obtained from the office of the sports complex.

34.1 परिसर के प्रशिक्षकों के अतिरिक्त सदस्य कोई अतिथि और अन्य व्यक्ति परिसर में कोई अन्य निजी प्रशिक्षक नहीं ला सकते। ऐसे व्यक्तियों द्वारा घोखेबाजी या दराचरण के लिए परिसर के प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

34.1 Apart from the complex coaches no other private coaching is allowed in the complex from the members or any guest and other persons. Complex authority will not be responsible for cheating or any misconduct by such persons.

34.2 यदि कोई व्यक्ति निजी प्रशिक्षण लेता-देता पाया गया तो परिसर के प्राधिकारी को ऐसे सदस्य/प्रशिक्षक को परिसर से निकालने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

34.2 If some body is found indulging in private coaching, the complex authority has full right to debar such member/coach from the complex and disciplinary/punitive action will be initiated against such member.

35. समय

35. Timings

खेल परिसर के खुलने और बंद होने के समय और उसमें उपलब्ध की जाने वाली सुविधा का समय प्रबंध-बोर्ड के आदेश के अनुसार होगा। सामान्यतः परिसर का समय गर्मियों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगा। सर्दियों में परिसर प्रातः 6.30 बजे खुलेगा तथा सदस्य सुविधा का उपयोग रात्रि 8.30 बजे तक कर सकते हैं। खेलकूद सुविधाओं के लिए सोमवार अवकाश का दिन होगा। प्रबंध-बोर्ड कनिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा सुविधाओं के उपयोग के लिए, कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष समय/दिन निश्चित कर सकता है। प्रबंध-बोर्ड वह विशेष दिन भी तय कर सकता है, जिसमें अतिथि को आने की अनुमति नहीं होगी।

The timings of opening and closing of sports complex and of any facility provided therein will be as per the order of the Management Board. Normally, timing will be 6.00 AM to 9.00 PM in summer. In winter, the

sports complex will open at 6.30 AM. and members can use the facilities upto 8.30 PM. Monday will be observed as closed day for sports facilities. The management board may set apart specific timings/days for use of facilities by juniors, for coaching and training too. The Management board may also prescribe specified days on which guests may not be allowed.

36. किसी हानि/चोट/क्षति के लिए मुआवजा :

36. Compensation Against Any Loss/Injury/Damages

सदस्यों, उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, चोट अथवा क्षति न पहुंचे। दि.वि.प्रा. और/अथवा खेल परिसर का प्रबंध-मण्डल किसी सदस्य, उनके आश्रितों, खेल परिसर में लाए गए किसी अन्य व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट, हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दि.वि.प्रा. और प्रबंध मण्डल किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने पर कोई हानि, चोट अथवा क्षति पहुँचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दि.वि.प्रा. और उसके प्रबंध-मण्डल को होने वाली क्षति की भरपाई की जाएगी।

"The members, their dependents/guests and other persons are required to take all precaution so that no loss, injury or damage is caused to any person. The DDA and/or the Management of the Sports Complex shall not be responsible for any injury, loss or damage sustained or caused to any member, his dependents, any other person brought to the Complex or passing through the Sports Complex or using any facilities of the Sports Complex. The DDA and the Management shall not be responsible for any loss, injury or damage caused to any person on any account including the negligence or otherwise of other member or persons on the complex or using the Complex and the DDA and its Management shall be indemnified and shall always be kept indemnified by the members and other persons."

37. खेल सुविधाओं का उपयोग न होने पर, फीस वापसी का नियम।

37. Refund of Non-utilisation of Sports Facility

खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग यदि विद्युत सप्लाई के फेल होने, से बुरा मौसम वर्ष या अन्य कोई कारण जिस पर खेल प्रबंधन का कोई अधिकार (कन्ट्रोल) न हो, के कारण न कर पाये, तब किसी प्रकार का मुआवजा या ली गयी फीस की वापसी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का खेल के लिए (समय या दिन में) समन्वय (एडजस्टमेंट) किया जायेगा।

No. Compensation whatsoever, will be made by refund of money or adjustment against future play in the event of failure of power supply, bad weather, rain or for any other reason beyond the control of the Management"

टिप्पणी :-

NOTES :-

1. यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारे में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य के किसी भी दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1. It shall be the responsibility of the applicant to enquire about approval of his membership within 30 days from the date of submission of application form, if approval/non-approval of membership is not received. Non-receipt of such a letter shall not tantamount to any claim by the member.
2. मासिक अंशदान के लिए कोई बिल नहीं भेजा जाएगा।
2. No bills will be sent for monthly subscription.
3. खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिचर के सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जांच कर सकते हैं।
3. It is mandatory to show the membership card/receipt to the Security Personnel/game attendant posted at reception/gate before entering into the facility area. Membership card can be checked at any time any where by complex officials/officers.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

उप-विधियों
BYE-LAWS

1. परिभाषा

1. **Definition**

इस 'उप-विधि' में प्रयोग किए गए 'सदस्य' शब्द में व्यक्तिगत निगमित, अस्थायी, आकस्मिक, कर्मचारी, मानद विशेष मानद, एसोशिएट, अनिवासी भारतीय और वरिष्ठ नागरिक सदस्य शामिल हैं।

The term 'member' as used in these "bye-laws" includes Individual, Corporate, Temporary, Casual, Staff, Honorary, Special Honorary, Associate, NRI and Senior Citizen members.

2. कार्य दिवस और समय

2. **Working Days & Timings**

परिसर सोमवार, जो कि खेल-सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है, और प्रबंध-मण्डल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश के दिनों (अर्थात् 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा। परिसर सामान्यतः सदियों में अर्थात् 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे और गर्मियों में अर्थात् 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहता है। परिसर होली (पूर्वाह्न), दशहरा और दीपावली (अपराह्न 2.00 बजे के बाद) को आंशिक रूप से बंद रहेगा।

The complex will remain open on all days of the week except Monday which will be observed as closed day for sports facilities and on days specified by the Management from time to time and on three National holidays (i.e. 26th Jan., 15th August & 2nd October). The complex will normally remain open from 6.30 AM to 8.30 PM in winter i.e. 1st Dec. to 28th Feb. and from 6 AM to 9.00 PM in summer i.e. 1st March to 30th Nov. The complex will remain partially closed on Holi (forenoon), Dussehra & Deepawali (after 2.00 PM).

3. विभिन्न खेलों/गतिविधियों के लिए समय प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होगा। तथापि, समय-समय पर इसे अधिसूचित किया जाएगा।

3. Detailed timings for various sports/activities would be approved by the Management Board. These will however be notified from time to time.

4. तथापि, परिसर के प्रशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाशों के दिन बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश को छोड़ कर) स्वीकार किया जाएगा।

4. The Administrative/Accounts office of the complex will, however, remain closed on every Sunday, 2nd Saturday & all Gazetted Holidays. The payment will be accepted by Accounts office between 10.00 AM to 3.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM.

5. प्रबंध बोर्ड ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।

5. The management board may prescribe specified days on which guests are not allowed and also set apart specific timings/ days for use of facilities by sports persons for coaching & training.

6. परिसर के कर्मचारी

6. **Complex Staff**

सदस्य, उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति परिसर के किसी कर्मचारी के साथ गाली-गलौज नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति/स्टाफ-सदस्य के साथ झगड़ा आदि नहीं करेंगे। सदस्य द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसी/अगले कार्य-दिवस को सचिव को लिखित में मामले की रिपोर्ट की जाएगी अथवा प्रबंध के पास रखी शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। सचिव या तो स्वयं मामले की जांच कर सकते हैं अथवा मामला प्रबंध-बोर्ड के समक्ष, जैसा आवश्यक समझे, भेज सकते हैं।

Members, their guests and dependents shall not abuse any of the complex staff or use violence whatsoever to any person of the staff. In the event of the member having any occasion to find fault with any person of the staff of the complex, a report of the case should be made in writing to the Secretary on the same/next working day and it should be entered in the Complaint Book kept with the Manager. The Secretary may either deal with case or refer it to the Management Board as may be found necessary.

7. किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी को निरुद्देश्य, संदेश भेज कर अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से हटाया नहीं जाएगा।

7. The complex staff will not be sent on any errand or with the message or otherwise withdrawn from his place of work by any member, dependants or guests.

8. कर्मचारियों को इनाम देना ।

8. Tipping to staff

कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को इनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा । कर्मचारी/परिसर के कर्मचारी इनाम नहीं मांगेंगे/लेगे ।

No member shall give any money by way of tip to any complex staff. The staff/complex employee is prohibited to solicit or accept gratuities.

9. पौधों, पौध और लघु पौधों की आपूर्ति

9. Supply of Plants Seedlings & Saplings

पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमति नहीं है । सदस्य माली अथवा किसी भी कर्मचारी को ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे । मालियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है ।

Sale of plants, seedlings & saplings is not permitted. Members will not ask gardeners or any staff member for the same. Gardeners are forbidden to supply plants, flowers etc. to members.

10. वस्तुओं सामग्री की बिक्री

10. Selling of items/materials

किसी अधिकृत दुकान से भिन्न—किसी अन्य द्वारा खेल परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बेचने पर कड़ी पाबंदी है । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी । Selling of any material of any kind other than by the authorised shop in the complex premises is strictly prohibited. Disciplinary action will be initiated against such person.

11. टूट-फूट

11. Breakages

सदस्यों, उनके अतिथियों और आश्रित व्यक्तियों अथवा उनके नौकरों द्वारा परिसर की किसी भी सम्पत्ति को तोड़ने पर पूरी कीमत देनी होगी । तथापि, प्रबंध-मण्डल की राय में किसी सामान को जानबूझ कर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस सामान की राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा ।

Full value will be charged for all breakages of the complex property from members, their guests and dependants or their servants. However, if in the opinion of the Management, the breakages are wilful, the members may be required to pay upto six times the value of the article.

12. सुझाव एवं शिकायतें

12. Suggestions & Complaints

यदि कोई सुझाव या शिकायत, हो तो इस उद्देश्य के लिए रखी सुझाव/शिकायत-पुस्तिका में दर्ज किया जा सकता है, जिसे प्रबंधक से प्राप्त किया जा सकता है । सुझाव/शिकायत को सचिव और प्रबंध-बोर्ड द्वारा देखा जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है । तथापि, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है । यह स्वयं सदस्य द्वारा दर्ज की जानी चाहिए ।

Suggestions and Complaints, if any, should be entered in Suggestion/Complaint book kept for this purpose and can be obtained by any member from the Manager. The Suggestion/Complaint will be looked into by the Secretary and the Management Board and disposed off accordingly. Spouses and dependant children are, however, not permitted to enter any Suggestion or Complaint in the Suggestion/ Complaint book. This may be done by the members themselves.

13. परिसर का सामान

13. Articles of the Complex

किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियों, जैसे—फर्नीचर, क्राकरी अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दिया जाएगा ।

Properties of the complex such as furniture, crockery or other equipment will not be issued/rent to any member or to any organisation outside the complex premises.

14. पालतू पशु

14. Pets

परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है । इस उप-विधि का उल्लंघन करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर 500/- रु0 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

Dogs/pets are not to be allowed in any part of the complex. For each violation of this bye-law, the owner of the dog/pet may be charged/fined Rs. 500/-

15. साइकिल/स्कूटर

15. Cycles/Scooters

परिसर के लॉन/कोर्ट में साइकिल स्कूटर और मोटर साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है । साइकिल और स्कूटर/मोटर साइकिल को साइकिल/स्कूटर पार्किंग में खड़ा करना चाहिए । Cycling, riding scooters and motor cycles on the lawns/courts of the complex is not permitted. Cycles and Scooters/Motorcycles should be parked in the Cycle/Scooter parking.

16. नोटिस

16. Notices

किसी भी छपी सामग्री/सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले परिसर के सचिव के अनुमोदन के लिए भेजना होगा, जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है । नोटिस को समान्यतः एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा ।

Any printed/circular material for the notice board of the complex must be sent to the complex Secretary for approval and got initiated by him before being placed on the notice board. Members are not permitted to place any notice. Notices will normally be displayed for a week only.

17. भुगतान

17. Payment

प्रबंध-मण्डल नकद में किए गए भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा भुगतान समुचित रसीद लेकर खजांची को न किया गया हो।

The management will not be responsible for payments made in cash, unless such payments are made to cashier against a proper receipt.

18. चैक सदस्यों द्वारा भुनाये नहीं जा सकते। सदस्यों के चैकों को परिसर निधि के लिए भुनाना वर्जित है।
18. Cheques cannot be encashed by members. The use of complex funds for encashing of members cheques is strictly forbidden.

19. वाहनों की पार्किंग

19. Parking of Vehicles

सदस्य कारों/स्कूटरों/मोटर साइकिलों आदि को पार्किंग के लिए निर्धारित समुचित क्षेत्र में ही खड़ा करेंगे।

Members will park cars/scooters/motorcycles etc in the proper area specified for the purpose.

20. "नो पार्किंग एरिया" में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों/उनके आश्रित व्यक्तियों को जुर्माना अदा करना होगा :-
20. Members/dependants shall be liable to pay the penal charges as prescribed in case of parking in the "No parking area".
21. खेल परिसर किसी वाहन के खोने अथवा वाहन के अन्दर रखी किसी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु, चाहे वह वाहन के अन्दर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
21. The sports complex shall not be held responsible for the loss of any vehicle or any belongings or fitments either kept inside or fitted in the vehicle.
22. खेल परिसर के अन्दर साइकिल सहित वाहनों की पार्किंग पूर्णतः स्वामी के जोखिम पर है।
22. Parking of vehicles including cycles inside the sports complex is purely at the owner's risk.

23. परिसर में तेज गति से वाहन चलाना

23. Overspeeding in the complex

परिसर में प्रवेश करते समय कारों/स्कूटरों/मोटर साइकिलों की गति 10 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिसर में गति का अधिक होना और हॉर्न को जोर जोर से बजाना मना है।

While entering the complex, cars/scooters/motorcycles must slow down to a speed of not more than 10 km. per hour. Overspeeding and honking of horns on the complex roads is not permitted.

24. वर्दी विनियम

24. Dress Regulations

सदस्यों को परिसर के अन्दर वर्दी पहनने के संबंध में समुचित रूप से नियमों का पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में परिसर के अन्दर कुर्ता पाजामा, चप्पल/बाथरूम स्लीपर्स अथवा सलवार कमीज, गाऊन आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी।

Members will ensure that proper decorum with regard to wearing of dress in the complex is always maintained. Under no circumstances the gentlemen will be permitted to visit the complex in Salwar kameez/Kurta Pyjama, Vest Chappals/ Bathroom slippers or dressing gowns etc.

25. प्रत्येक खेल/गेम के लिए उप-विधि में निर्धारित उचित स्पोर्ट्स-किट पहननी होगी।
25. Proper sports kit will be worn for each sport/game as designated in the bye-laws.

26. अल्पाहार

26. Refreshment

सदस्यों की सुविधा के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्नैक्स बार बनाए जाएंगे, जहाँ अल्पाहार उपलब्ध होगा।

Snack bars with light refreshment are located at convenient places for the convenience of members.

27. मद्यपान एवं धूम्रपान

27. Drinking & Smoking

परिसर के अन्दर शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन करना सख्त मना है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और मदिरापान एवं धूम्रपान न करें।

Consuming liquor or alcoholic drinks and smoking in the premises of the complex is strictly prohibited. Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking.

28. फिल्म बनाना/फोटो खींचना

28. Shooting/Photography

प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में फिल्म (स्टिल/वीडियो) बनाना मना है।

Shooting (Still/vided) in the premises of the complex is not permitted without prior approval of the Administration.

29. अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बन

29. Suspension of membership for indiscipline

परिसर के नियम 23, 28 एवं 29 के अनुसार निदेशक (खेल को अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्यता और आश्रित की सदस्यता को निलम्बित करने का अधिकार है। सदस्य के निलम्बित होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।

Director (Sports) is empowered to suspend any member and dependent for indiscipline as per rule 23, 28 & 29 of the complex. The following actions will be taken on suspension of member :

- (क) निलम्बित सदस्य की सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा ।
A) A suspended member shall hold his/her lien over the membership status.
(ख) उसे सदस्यता कार्ड वापिस करना होगा ।
B) He will surrender membership card.
(ग) जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी ।

C) He/She will not be allowed to use the facilities until the suspension is revoked.

(घ) जांच के पश्चात यदि सदस्य निर्दोष होता है तो उसे बकाया-राशि का भुगतान करना होगा । यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है तो औपचारिक जांच के पश्चात उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

D) After holding an inquiry if the member is found innocent, he/she will be liable to clear the arrears. If the member is found guilty his/her membership will be terminated after a formal enquiry.

30. परिसर में हथियार और गोला-बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है ।

30. No arms and ammunition are allowed in the premises of the complex.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

31. खेल उप-विधि

31. Sports Bye-Laws

ये निम्नलिखित परिशिष्टों में दी गई हैं :-

These are given in appendices attached as under :-

क्रम सं० S. No.	खेल Game	परिशिष्ट Appendix	पृष्ठ सं० Pages
1.	टेनिस Tennis	'ए' 'A'	18-19
2.	टेबल-टेनिस Table Tennis	'बी' 'B'	20
3.	बैडमिन्टन Badminton	'सी' 'C'	21
4.	स्कवॉश Squash	'डी' 'D'	22
5.	बिलियर्ड्स / स्नूकर Billards/Snooker	'ई' 'E'	23-24
6.	ताइक्वांडो / कराटे Taekwondo/Karate	'एफ' 'F'	25
8.	क्रिकेट Cricket Practice Pitches	'जी' 'एच' 'H'	27-28
9.	हॉकी / फुटबाल Hockey/Football	'आई' 'I'	29
10.	एरोबिक्स Aerobics	'जे' 'J'	30
11.	योग Yoga	'के' 'K'	31

क्रम सं० S. No.	खेल Game	परिशिष्ट Appendix	पृष्ठ सं० Pages
12.	बास्केटबाल / वालीबाल Basketball/Volleyball	'एल' 'L'	32
13.	तैराकी Swimming	'एम' 'M'	33-34
14.	टोडलर्स पूल Toddlers pool	'एन' 'N'	35-36
15.	फिटनेस सेन्टर / मल्टीजिम Fitness Centre./Multigym	'ओ' 'O'	37-38
16.	स्केटिंग Skating	'पी' 'P'	39-40
17.	स्कूलों / कॉलेजों / सार्वजनिक संस्थाओं हेतु उप-विधि Bye-Laws for Schools/Colleges/Public Institutions	'क्यू' 'Q'	41
18.	उपविधि का समय Summary of bye-laws	'आर' 'R'	42-44
19.	महत्वपूर्ण खेलों की सूची का सारांश Summary of Important bye-laws	'एस' 'S'	45-46

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

टैनिस्

TENNIS

1. टेनिस् के लिए क्ले-कोर्ट एवं हार्ड कोर्ट उपलब्ध है। क्ले और हार्ड कोर्ट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। घटा के आधार पर निर्धारित प्रकारों के अनुसार सदस्यों अतिथियों और आकस्मिक सदस्यों द्वारा भुगतान करो और खेलों आधार पर इनका प्रयोग किया जाएगा।
1. Clay Courts, Hard Courts are available for tennis. There will be no charge for clay and hard courts. These shall be utilised on pay and play basis by members, guests and casual members as per the prescribed charges on hourly basis.
2. सदस्य/आश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गए रजिस्टर में अपना नाम एवं सदस्यता संख्या और आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/पर्ची दिखानी होगी।
2. Members/dependants will enter their name & membership number in the Register maintained with the attendant along with the time of arrival before playing. Membership Card/Receipts will be shown to attendant/complex authority on demand.
3. खेलने की प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधार पर होगी। तथापि, सदस्यों के लिए निम्नलिखित समय के अनुसार दो कोर्ट आरक्षित रहेंगे। इन समयों के दौरान कोर्ट फ्री रहेंगे, परन्तु जैसे ही सदस्य आएंगे, तब इनको खाली करना होगा।
3. Priority to play will be on "first come first serve basis". Two courts will however, be specifically reserved for members as per timings given below, Should the courts be free during these timings, others may play but will vacate as soon as a member arrives.
4. अस्थायी एवं आकस्मिक सदस्यों तथा अतिथियों को क्रमशः सर्दियों एवं गर्मियों के दौरान अपराह्न 6 बजे एवं अपराह्न 7.00 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं होगी।
4. Temporary/casual members & guests will not have any priority after 6 PM & 7 PM during winter & summer respectively.
5. खेल की अवधि आधे घंटे होगी अथवा एक सैट होगी। इनमें से जो भी पहले खत्म होगी वही अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रिंकर होगा। सदस्यों की भीड़ होने पर केवल एक छोटे सैट अर्थात् 11 गेम से अधिक नहीं खेलने की अनुमति होगी।
5. Period of play will be permitted for half hour or a set whichever is earlier. A tie breaker will be played at 5 all. Should there be rush of members, only a short set i.e. not more than 11 games will be permitted.
6. तैयारी (वार्मिंग अप) : तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट के खेलने के समय में ही शामिल होगी।
6. Warming up- Only 3 minutes warming up play is permitted which will be included in the 30 minutes play period.
7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप फोर" प्रतीक्षा न कर रहा हो।
7. Singles- Singles will be played if no doubles or "made up four" is waiting.
8. प्लेटिंग गिअर:- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस् रैकेट और बॉल स्वयं लानी होगी।
8. Playing Gear- Own tennis rackets and balls are to be brought by members/dependants for play.
9. बॉल-बॉय : बॉल-बॉय की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा।
9. No ball boys are permitted or will be employed.
10. धूम्रपान :- कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है।
10. Smoking- Smoking is not permitted in the court area.
11. वर्दी :- खेलते समय सफेद कमीज/टी-शर्ट, सफेद शर्ट (स्कर्ट/सल्वार कमीज) एवं टेनिस् शूज पहनने होंगे। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी।
11. Dress- White shirt/T-shirts, white shorts (skirts/salwar-kameez for ladies) & tennis shoes should be worn for play. Track suit is permitted only in winter.
12. कोचिंग :- भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक हार्डकोर्ट उपलब्ध रहेगा।
12. Coachings- Marker's services will be available for coaching on prescribed fee. One of the hard courts is reserved for coaching.

13. प्रैक्टिस वाल :- आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है । प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रैक्टिस वाल के उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी ।

13. **Practice Wall-** A practice wall, consisting of half courts is available for practice. A maximum of two persons can practice on each half court. If other members are waiting for practice, the use of wall will be restricted to 10 minutes at a time.

14. समय :-

14. TIMINGS :

गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर)

SUMMER- (1st March to 30th Nov.)

पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 9 बजे तक ।

6 AM to 10 AM & 3 PM to 9 PM

सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी)

Winter- (1st Dec. to 28th Feb.)

पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 8.30 बजे तक ।

6.30 AM to 11 AM & 2 PM to 8.30 PM

(सोमवार अवकाश)

(Monday closed)

1. सिंथैटिक कोर्ट

SYNTHETIC COURTS

यह भुगतान करो और खेलों सुविधा है । कोर्ट के लिए बुकिंग प्रभार निम्नलिखित है:-

1. This is pay and play facility. The booking charges for a court are :-

(क) दिन के प्रकाश में 50/-रु. प्रति घंटा प्रति कोर्ट अथवा यथा संशोधित । (कोर्ट की लाईट जलाई नहीं जाएगी)

(a) Day light hours - Rs. 50/- per hour per court or as revised. (Court lights are not switched on)

(ख) सायंकाल में 75/-रु. प्रति घंटा प्रति कोर्ट अथवा यथा संशोधित । (कोर्ट की लाईट जलेगी)

(b) Evening - Rs. 75/- per hour per court (Court lights are switched on)

2. बुकिंग प्रभार का भुगतान स्वागत-कक्ष में करना होगा । 24 घंटे पहले बुकिंग करवाई जा सकती है ।

2. The booking charges will be paid at the Reception. Booking can be done 24 hours in advance.

3. कोर्ट के अन्दर खाने-पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है ।

3. No. eatables or drinks of any kind are allowed inside the courts.

4. कोर्ट के अन्दर लाने वाली बॉले एक कैन में अथवा रबड के बेस में अथवा एक कार्ड-बोर्ड बाक्स में होनी चाहिए । बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए और इसे कोर्ट के बाहर छोड़ना चाहिए ।

4. The balls being carried inside the courts must either be in a can with rubberised base or in a card board box. The pressurised can containing balls must be opened and left outside the courts.

5. कोर्ट के अन्दर लकड़ी अथवा एल्यूमीनियम बेस वाली कुर्सियों/मेजों की अनुमति नहीं होगी ।

5. Chairs/tables with wooden or aluminum base are not allowed inside the courts.

6. कोर्ट में केवल नान मार्किंग शूज पहनने की अनुमति होगी ।

6. Shoes with non-marking soles are only allowed in the courts.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

स्कूलों/कालेज/सार्वजनिक संस्थाओं के लिए खेल-मैदान का उपयोग करने की उप-विधि
BYE-LAWS for Utilising play fields by School/Colleges/Public Institutions

1. स्कूलों/कालेज, सार्वजनिक संस्थान प्रबंधन (मैनेजमेंट) से लिखित अनुमति लेने के बाद खेलने के लिए परिसर के मैदान का उपयोग कर सकते हैं।
1. Schools, colleges and public institution may use the grounds of the complex for playing after obtaining written permission from the Management.
2. खेल-मैदानों का उपयोग शनिवार/रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
2. Use of play fields will be restricted between 9 AM to 3 PM daily except Monday/Sunday & Gazetted holidays.
3. अनुमति के लिए आवेदन पत्र पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष/क्लब के अध्यक्ष आदि के द्वारा ही हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. Application for permission has to be signed by the Headmaster/Principal or Head of the Department/Institution.
4. उपर्युक्त सुविधा का उपयोग प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित होगा और प्रत्येक खेल के लिए प्रति कोर्ट/ट्रेबल प्रति घंटे प्रति माह आधार पर निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान करने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
4. Utilisation of the above facility is subject to approval by the Management Board and advance payment of prescribed fee as per game/per court/table per hour on a monthly basis.
5. समयावधि के लिए पूर्व बुकिंग परिसर प्रबंधन (कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट) से अग्रिम रूप में करानी चाहिए।
5. Prior booking for the period should be done in advance with the management of the Complex.
6. प्रवेश केवल उन खिलाड़ियों को ही दिया जाएगा, जो ग्रुप के रूप में ही आएंगे और ग्रुप के रूप में ही जाएंगे।
6. Entry will be restricted to players who must come as a group & leave as a group.
7. खिलाड़ियों के ग्रुप का मार्गदर्शन/अध्यापक/कोच द्वारा किया जाएगा।
7. Group of players will be escorted by a teacher/coach.
8. परिसर में अनुशासन एवं नियमों/उप-नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा मैदान में धूम्रपान करना मना है।
8. Maintenance of discipline & rules/bye-laws of the complex should be adhered to. Smoking in the field is prohibited.
9. समय सूची का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
9. Time schedule will be strictly enforced.
10. परिसर में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं है। परिसर में किसी वार्षिक समारोह अथवा अन्तः कक्षा मैच आदि की भी अनुमति नहीं है। इन मैदानों पर केवल अभ्यास ही किया जा सकता है।
10. Spectators are not allowed, No annual function or inter class matches etc, will be permitted in the complex. Only practice can be conducted on these fields.
11. प्रबंधन-बोर्ड/प्रशासनिक कर्मचारी को किसी सूचना के बिना सुविधा का उपयोग रद्द करने का अधिकार है।
11. The Management Board/Administrative officials reserve the right to cancel the use of facility without any notice.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

स्कूलों/कालेज/सार्वजनिक संस्थाओं के लिए खेल-मैदान का उपयोग करने की उप-विधि
BYE-LAWS for Utilising play fields by School/Colleges/Public Institutions

1. स्कूलों/कालेज, सार्वजनिक संस्थान प्रबंधन (मैनेजमेंट) से लिखित अनुमति लेने के बाद खेलने के लिए परिसर के मैदान का उपयोग कर सकते हैं।
1. Schools, colleges and public institution may use the grounds of the complex for playing after obtaining written permission from the Management.
2. खेल-मैदानों का उपयोग शनिवार/रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
2. Use of play fields will be restricted between 9 AM to 3 PM daily except Monday/Sunday & Gazetted holidays.
3. अनुमति के लिए आवेदन पत्र पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष/क्लब के अध्यक्ष आदि के द्वारा ही हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. Application for permission has to be signed by the Headmaster/Principal or Head of the Department/Institution.
4. उपर्युक्त सुविधा का उपयोग प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित होगा और प्रत्येक खेल के लिए प्रति कोर्ट/ट्रेबल प्रति घंटे प्रति माह आधार पर निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान करने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
4. Utilisation of the above facility is subject to approval by the Management Board and advance payment of prescribed fee as per game/per court/table per hour on a monthly basis.
5. समयावधि के लिए पूर्ण बुकिंग परिसर प्रबंधन (कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट) से अग्रिम रूप में करानी चाहिए।
5. Prior booking for the period should be done in advance with the management of the Complex.
6. प्रवेश केवल उन खिलाड़ियों को ही दिया जाएगा, जो ग्रुप के रूप में ही आएंगे और ग्रुप के रूप में ही जाएंगे।
6. Entry will be restricted to players who must come as a group & leave as a group.
7. खिलाड़ियों के ग्रुप का मार्गदर्शन/अध्यापक/कोच द्वारा किया जाएगा।
7. Group of players will be escorted by a teacher/coach.
8. परिसर में अनुशासन एवं नियमों/उप-नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा मैदान में धूम्रपान करना मना है।
8. Maintenance of discipline & rules/bye-laws of the complex should be adhered to. Smoking in the field is prohibited.
9. समय सूची का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
9. Time schedule will be strictly enforced.
10. परिसर में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं है। परिसर में किसी वार्षिक समारोह अथवा अन्तः कक्षा मैच आदि की भी अनुमति नहीं है। इन मैदानों पर केवल अभ्यास ही किया जा सकता है।
10. Spectators are not allowed, No annual function or inter class matches etc, will be permitted in the complex. Only practice can be conducted on these fields.
11. प्रबंधन-बोर्ड/प्रशासनिक कर्मचारी को किसी सूचना के बिना सुविधा का उपयोग रद्द करने का अधिकार है।
11. The Management Board/Administrative officials reserve the right to cancel the use of facility without any notice.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX

उप-विधि का सारांश
SUMMARY OF BYE-LAWS

क्रम सं0 S.No.	खेल Sports Games	समय Timings	दिन Days	पोशाक Dress	टिप्पणियों Remarks
1.	टेनिस Tennis	शीतकालीन प्रातः 6.30 बजे से 11.00 बजे तक । दोपहर 3.00 बजे से शाम 8.30 बजे तक । Winter-6.30 AM-11.00 AM 3 PM-8.30 PM ग्रीष्मकालीन प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक । सांय 4.00 बजे से रात 9.00 बजे तक । Summer-6.00 AM-10.00AM & 4.00 PM-9.00 PM	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	सफेद शर्ट/टी शर्ट (महिलाओं के लिए सफेद सलवार कमीज) एवं टेनिस शूज, केवल सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए ट्रैक सूट की अनुमति है) White Shirt/T-Shirt (White Salwar Kamiz for ladies) & Tennis Shoes. (Track suit for warming up permitted only in winter)	(क) निर्धारित शुल्क (a) Prescribed fee क) मार्कर द्वारा सामूहिक प्रशिक्षण हेतु 200/- रुपये प्रतिमाह एवं टेनिस बॉल किराये पर लेने के लिए 60/- रु. अतिरिक्त Group coaching by marker Rs. 200/- p.m. & Additional Rs. 60 for tennis ball hiring. ख) आरक्षित कोर्ट मार्कर द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक कोर्ट दोपहर 2.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक (सर्दी में) एवं शाम 3.00 बजे से 7.00 बजे तक (गर्मी में) b) Reserved courts One court for coaching by marker from 2 PM to 6 PM (Winter) & 3.00 to 7.00 PM (Summer)
2.	टेबल टेनिस Table Tennis	शीत कालीन प्रातः 6.30 बजे से 8.30 बजे तक ग्रीष्म कालीन प्रातः 6.00 बजे रात 9.00 बजे तक Winter-6.30 AM-8.30 PM Summer-6 AM-9 PM	-यथा- -do-	शर्ट/ट्रैक लोअर, शर्ट/ टी-शर्ट/स्पोर्ट्स शूज, (महिलाओं के लिए सलवार कमीज) Short/Track lower, shirt T-shirt/Sports shoes, (salwar kamiz for ladies)	क) शान्ति बनाए रखनी है । a) Silence to be observed ख) टेबल प्रयोग न करने की स्थिति में लाइट बुझा दें । b) Lights to be switched off when the table is not in use ग) दीवारों के पास खड़ा रहना मना है । c) Standing next to wall not permitted
3.	बैडमिंटन Badminton	शीत कालीन प्रातः 6.30 बजे से 8.30 बजे तक ग्रीष्म कालीन प्रातः 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक Same as S.No. 2	-यथा- -do-	शर्ट/ट्रैक लोअर, शर्ट/ टी-शर्ट/स्पोर्ट्स शूज, महिलाओं के लिए सलवार कमीज) Short/Track lower, shirt T-shirt/Sports shoes, (salwar kamiz for ladies)	सदस्यों के लिए कोर्ट नं. 1 कोर्ट नं. 2 सबके लिए है । इंडोर स्टेडियम के लिए जहां बैडमिंटन कोर्ट है, अलग उप-विधि तैयार की जाती है । Reserved courts No. 1 for member, No. 2 open to all. For Indore Stadium where badminton courts are existing sparate bye-laws are framed.

4. स्क्वॉश Squash	शीतकालीन प्रातः 6.30 बजे से 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन प्रातः 6.00 बजे रात 9.00 बजे तक Same as S.No. 2 Winter-6.30 to -8.30 Summer-6.00 to 9.00	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	शार्ट शर्ट / टी-शर्ट एवं स्पोर्ट्स शूज (केवल सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए ट्रैक सूट की अनुमति है) Short, shirt/T- Shirt & sports shoes, (Track suit for warming up permitted only in winter)	
5. बिलियर्ड्स / स्नूकर Billiards/ Snooker	शीतकालीन प्रातः 10.30 बजे से रात 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन प्रातः 11.00 बजे से रात 9.00 बजे तक 10.30AM-8.30PM (Winter) 11 AM-9 PM (Summer)	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	शालीन पोशाक Decent clothes	निर्धारित शुल्क गमी में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं सर्दी में प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक। Prescribed fee 11 AM to 1 PM in summer & 10.30 AM to 12.30 PM in winter
6. ताइक्वांडो / कराटे Taekwondo/ Karate	शीतकालीन शाम 5.00 बजे से रात 6.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन शाम 6.00 बजे से 7.30 बजे तक 5PM-6.30 PM (Winter) 6 PM-7.30 PM (Summer)	मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार Thuesday Thursday Saturday	निर्धारित पोशाक Prescribed uniform	निर्धारित शुल्क a) Prescribed fee (ख) अपनी पोशाक लानी होगी। भाग लेने वाले को खेल शुरू होने से 10 मिनट पहले आना होगा। b) Own uniform to be brought. Participant to report 10 min. before commencement.
7. बास्केट बॉल / वॉलीबॉल Basketball/ Volleyball	शीतकालीन प्रातः 6.30 बजे से रात 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन प्रातः 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक Winter-6.30 AM-8.30 PM Summer-6 AM-9 PM	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	शार्ट शर्ट / टी-शर्ट एवं स्पोर्ट्स शूज (केवल सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए ट्रैक सूट की अनुमति है) Short, shirt/T- Shirt & sports shoes, (Track suit for warming up only in winter)	आयोजित टीम शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक (गर्मी में) एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक (सर्दी में) खेल सकेंगी। Organised team play 6 PM to 8 PM (Summer) & 5 PM-7 PM (Winter)
8. हॉकी / फुटबॉल Hockey/ Football	शीतकालीन प्रातः 6.30 बजे से रात 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीन प्रातः 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक Winter-6.30 AM-8.30 PM Summer-6 AM-9 PM	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	शूज शर्ट / टी-शर्ट एवं स्पोर्ट्स शूज (केवल सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए ट्रैक सूट की अनुमति है) Shirt, shirt/T- Shirt & sports shoes, (Track suit for warming up only in winter)	आयोजित टीम प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खेल सकेंगी। Organised team play between 10 AM-3 PM
9. एरोबिक्स Aerobics	ग्रीष्मकाल प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक शाम 6.00 बजे से 7.30 बजे तक 6 AM 8 AM 6 PM to 7.30 PM (Summer) 6.30 AM-8.30 AM 6 PM to 7.30 (Winter)	मंगलवार से शनिवार तक Tuesday to Saturday	केवल प्राशिक्षक द्वारा निर्धारित ड्रेस Prescribed dress only by the instructor	निर्धारित शुल्क Prescribed fee
10. योग Yoga	यथा अधिसूचित As notified	सोमवार को छोड़ कर सभी कार्य दिवस All days except Monday	ढील कपड़े Loose out fit	निर्धारित शुल्क Prescribed fee

- | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. क्रिकेट
Criket | प्रातः 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
9AM-4PM | सोमवार
को छोड़
कर सभी
कार्य
दिवस
All days
except
Monday | सफेद पैट एवं टी
शर्ट / शर्ट.
White pant &
T-shiri/shirt | निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर
On payment of prescribed fee. |
| 12. क्रिकेट
अभ्यास
नेट
Criket
practice
net | शीतकालीन
प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 11 बजे तक
दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक
ग्रीष्मकालीन
4 बजे से शाम 6.30 बजे तक
7 AM-11AM 3 PM-5.30 PM (Winter)
6.30 AM-10 AM-4 PM-6.30 PM (Summer) | सोमवार
को छोड़
कर सभी
कार्य
दिवस
All days
except
Monday | सफेद पैट एवं टी शर्ट
White pant & T-shirt | हार्ड पिच कवल सदस्यों के लिए आरक्षित है ।
टर्फ पिच निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर
बुकिंग के लिए है ।
Hard pitch is reserved for members only. Turf
pitch is for booking on prescribed fee |
| 13. तैराकी
Swimming | प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक
दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक
6 AM-11AM
3 PM-9 PM | सोमवार
को छोड़
कर सभी
कार्य
दिवस
All days
except
Monday | स्वीमिंग कोस्ट्यूम
Swimming costume | निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर
On payment of prescribed fee. |
| 14. फिटनेस
सेन्टर
Fitness
centre | सर्दी में प्रातः 6.30 बजे से रात 8.30 बजे तक
गर्मी में प्रातः 6 बजे से रात 9 बजे तक
4 बजे से शाम 6.30 बजे तक
(Winter) 6.30 AM-8.30 PM
Summer 6 AM-9 PM | सोमवार
को छोड़
कर सभी
कार्य
दिवस
All days
except
Monday | ट्रैक सूट, शार्ट एवं
टी-शर्ट
Track Suit, Short &
T-Shirt | निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर
On payment of prescribed fee. |
| 15. स्केटिंग
Skating | प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 9 बजे तक ।
एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक ।
7 AM-9 AM & 5 PM-8 PM
Beginners 5 PM-7PM | सोमवार
को छोड़
कर सभी
कार्य
दिवस
All days
except
Monday | ट्रैक सूट, शार्ट एवं
टी-शर्ट
Track Suit, Short &
T-Shirt | निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर
On payment of prescribed fee. |

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
महत्वपूर्ण उप विधियों और खेल परिसरों में
खेलों की सूची का सारांश
SUMMARY OF IMPORTANT BYE-LAWS
AND SCHEDULE OF SPORTS/GAMES AT SPORTS COMPLEX

टिप्पणी :-

NOTES :

1. आगन्तुक एवं आकस्मिक सदस्यों से क्रमशः 25/-रु. और 40/-रु. (विदेशियों के लिए 100/-रु.) प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। कृपया किए गए भुगतान की रसीद लें। सभी प्रभार शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।
Charge for guests and casual members are Rs. 25/- and Rs. 40/- (Rs. 100/- for foreigner) per day per person respectively/ Please obtain receipt for payment made. All charges/fee are subject to change.
2. सदस्यों को शालीनता बनायी रखनी चाहिए और पोशाक संबंधी विनियमों का पालन करना चाहिए।
Members to maintain decorum & dress regulations.
3. सदस्यों के प्रत्येक खेल सुविधा के लिए रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने का समय को प्रविष्टि करनी चाहिए।
Members to enter their name, membership number & arrival time in the Register maintained at each facility.
4. अद्यतन अंशदान भुगतान का कार्ड/रसीद परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध पर दिखाई जानी चाहिए।
Cards/Receipts of subscription payment till date to be shown to Complex Official on request.
5. खिलाड़ी को अपना खेल का सामान, जैसे-रैकेट, बॉल, बैट, शटल कॉक आदि लाना चाहिए।
Own playing gear, i.e. rackets balls, bats, shuttle cocks etc to be brought by players.
6. समय में परिवर्तन हो सकता है। इस बारे में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।
Timing are subject to change. Notice for the same will be put on the Notice Board.
7. कूड़ा-करकट कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए।
Litter not be thrown anywhere. Waste baskets to be used.
8. खेलने के स्थान पर शान्ति बनाए रखनी चाहिए।
Silence to be observed in the sports area.
9. कोर्ट/खेलने के स्थान पर धूम्रपान करना सख्त मना है।
Smoking strictly prohibited in the Courts/playing area.
10. सभी से अनुरोध है कि वे परिसर के कर्मचारियों के प्रति शालीन व्यवहार करें।
All are requested to be courteous to staff of the complex.
11. प्रत्येक खेल सुविधा स्थल पर विस्तृत उप विधि उपलब्ध है।
Detailed bye-laws available at each sports facility.
12. सदस्यगण से अनुरोध है कि वे परिसर की उपविधि का पालन करें।
Members are requested to adhere to bye-laws of the complex.
13. रखरखाव/सफाई आदि के कारण प्रशासन को सुविधा को बन्द रखने का अधिकार है। इस संबंध में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।
Administration reserves the right to close the facility for maintenance/cleaning etc. Notice for the same may be put up on the Notice Board.
14. शिकायत/सुझाव पुस्तिका प्रबन्धक के पास उपलब्ध है।
Complaint/Suggestion book available with the Manager.
15. प्रबंधन बोर्ड ठीक है उपविधि को समय-समय पर आवश्यकतानुसार बदलने का अधिकार है।
The Management Board reserves the right to change bye-laws as necessary from time to time.
16. किसी भी सुविधा के लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान परिसर के प्राधिकृत कर्मचारी को ही करना चाहिए और रसीद ले लेनी चाहिए। प्रशिक्षक प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परिसर के कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में परिसर उत्तरदायी नहीं होगा।
The coaching fee for any facility will be paid to the authorised staff of the complex only and receipt obtained. Coaches are not authorised for receiving coaching fee. The complex will not be responsible for payment of coaching fees to persons other than the complex staff.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

योग

YOGA

1. सदस्य और आश्रितों के लिए योग कक्षाएं परिसर में लगाई जाएंगी। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर योग्य अनुदेशकों द्वारा निर्धारित क्षेत्र में योग्य कराया जाएगा। कक्षा में रिक्तियां होने पर शुल्क का भुगतान करने पर गैर-सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है।
1. Yoga classes will be conducted for members and dependants in the complex. Yoga will be carried out in the area designated for it by qualified instructors on payment of prescribed fee. Non-Members may be permitted on payment of fee subject to availability of vacancies in the class.
2. कक्षाओं के लिए समय-समय पर समय सूचित किया जाएगा।
2. Timings for the classes will be notified from time to time.
3. ड्रेस :- उचित वेश भूषा, पसंदीदा ढीले वस्त्र पहने जा सकते हैं, जो अधिक आरामदेह हों। अभ्यास क्षेत्र के अन्दर जूतों की अनुमति नहीं है।
3. Dress- decent apparel, preferably loose, comfortable clothing may be worn. No shoes will be allowed inside the practice area.
4. योग अभ्यास हेतु दरियां/चटाइयां भागीदारों द्वारा स्वयं लाई जाएंगी।
4. Durries /Mats are to be brought by participants themselves for yoga practice.
5. जब कक्षा लगी हो तब भागीदार को छोड़कर किसी को भी अभ्यास क्षेत्र के अन्दर आने की अनुमति नहीं है। दर्शक बाहर से देख सकते हैं।
5. Nobody except participants are permitted inside the practice area when a class is in progress. Spectators may watch from outside.
6. योग कक्षाओं के दौरान धूम्रपान वर्जित है।
6. Smoking is strictly prohibited during yoga classes.
7. योगाभ्यास के दौरान शान्ति रखी जाएगी।
7. Silence should be observed while practicing yoga.
8. कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के लिए अभ्यास को रोकने और भागीदार को निकालने का अधिकार योग शिक्षक को होगा।
8. Strict discipline should be maintained in the class. Yoga teacher reserves the right to stop practice and may ask a participant to leave for indiscipline or misbehaviour.
9. योग शिक्षक समय-समय पर विशेष कक्षाएं लगा सकते हैं।
9. Special classes under the instruction of yoga teacher may be run from time to time.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

बास्केट बॉल/वालीबाल

BASKETBALL/VOLLEYBALL

1. सदस्य एवं आश्रित सदस्य बास्केट बॉल/वालीबाल परिसर के समय के अनुसार खेल सकते हैं। अतिथि अथवा आकस्मिक सदस्य के रूप में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके गैर सदस्य आ सकते हैं।
1. Members & dependants may play on the Basketball/Volleyball Court as per timings of the complex. Non members will either come as guest or as casual member on payment of prescribed charges.
2. समय :
2. **TIMINGS :**
गर्मियों में : (1 मार्च से 30 नवम्बर तक)
Summer - (1st March to 30th Nov.)
प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक ।
6.00 AM to 9 PM

सर्दियों में : (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक)
Winter - (1st Dec. to 28th Feb.)
प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ।
6.30 AM to 8.30 AM
(यदि स्कूल/कॉलेजों को कोर्ट दिया गया है, तो पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कोर्ट उपलब्ध नहीं होगा) ।
(The court may not be available between 9 AM to 3 PM if allotted to Schools/Colleges).
3. गर्मियों में अपराह्न 6 बजे से रात्रि 8 बजे और सर्दियों में अपराह्न 5 बजे से रात्रि 7 बजे के दौरान संगठित टीम खेल की अनुमति है। मैनेजमेंट के पास कोर्ट को देने का अधिकार सुरक्षित है।
3. Organised team play is permitted from 6 PM to 8 PM (during summer) and from 5 PM to 7 PM in winter. The management reserves the right to allot the court for the same.
4. वर्दी :- शर्ट, टी-शर्ट और शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर एवं स्पोर्ट्स शूज। महिलाएं 'सलवार कमीज' अथवा शर्ट एवं स्कर्ट पहन सकती हैं।
4. **Dress** - Shirts T-Shirts and shorts/Track lower & sports shoes. Ladies may wear "Salwar Kameez" or shirt & skirt.
5. व्यक्ति/टीम को अपनी बास्केट बॉल/वालीबाल स्वयं लाएगी।
5. Own Basketball/Volleyball will be brought by individuals/team.
6. कोर्ट में धूम्रपान करना मना है।
6. Smoking is not permitted.
7. खेलने के लिए परिसर के कर्मचारियों द्वारा अनुरोध करने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
7. Membership card/receipts for the play should be shown to officials of the complex on demand.
8. खेल के दौरान अनुशासन एवं खेलने के वातावरण को बनाए रखना होगा। परिसर के नियमों/उप-विधि का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को खेल सुविधा का प्रयोग करने से वंचित किया जा सकता है।
8. Discipline & playing decorum will be maintained during the play. Any infringement of the complex rules/bye-laws may debar a person from the use of facility.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

तैराकी

SWIMMING

- सदस्य और आश्रित व्यक्ति तरण-ताल की क्षमता के अनुसार स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ताल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सदस्यों के साथ आने वाले अतिथियों को प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि ताल में स्थान उपलब्ध हो और अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो।
- Members and dependants may avail the swimming pool facility on payment of prescribed fee subject to availability of capacity in the pool. Guests accompanied by the members may be allowed entry provided there is capacity available in the pool on payment of required fee.
- प्रत्येक सदस्य को अपना तैराकी पास/रसीद जमा करना आवश्यक है और स्वागत कक्ष में रखे जाने वाले रजिस्टर में आते-जाते समय अपना नाम तथा समय तथा सदस्यता-संख्या लिखना भी जरूरी है।
- Each member is required to deposit his/her swimming pass/receipt and enter his/her name, membership number at the time of entry and exit in the register maintained at the reception.
- पास धारकों को तैरने की अनुमति 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मासिक/सीजन पास में यथानिर्धारित समय/सत्र में ही दी जाएगी। पास धारकों को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले सूचना देनी चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को आवंटित कर दिया जाएगा।
- Pass holders will be allowed to swim only in the allotted time and season as indicated in their monthly/seasonal pass on "first come first serve". Pass holders must report 15 minutes before the shift time failing which time slot will be allotted to another member.
- सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। लम्बे बालों वाले महिलाओं और अन्य तैराकों के लिए कैप पहनना अनिवार्य है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबंधक/कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुरुपयोग करने/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जवाब-देही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- All swimmers shall take shower bath, before entering the pool. They are also required to be attired in the proper costume. Cap is compulsory for ladies and other long haired swimmers. All instructions imparted by the Coach/Life Guard are to be strictly followed. The Manager/Coach is authorised to refuse any person from swimming for misbehaviour and/or infringement of rule. The management accepts no responsibility for any accident or mishap. Any injuries/loss of life while availing the facility will be at the swimmer's own risk. Likewise, no compensation claim shall be entertained in case of any mishap or loss of life.
- नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों को लाल कैप पहना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा।
- Non swimmers/beginners shall not cross the barrier put up for restricting them from going into the deeper portion. Wearing a red cap is compulsory for the beginners. In case a non swimmer violates the above restrictions, he/she shall do so at his/her own risk.
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न तो थूकें और ना ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है।
- Members are requested not to spit in/pollute the pool in any way. Any one suffering from skin disease/cough or cold will not be allowed to swim.
- दर्शकों को पूलडैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घा में रह सकते हैं।
- Visitors are not allowed to enter in the pool deck. They may occupy the visitor's gallery.
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है।

8. Children below the age of 5 are not allowed inside the pool premises. However, those above the age of 5 and below 8 years may come if accompanied by an adult.
9. कोई व्यक्ति चेन्ज रूम अथवा लॉकर्स में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेदारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी प्रकार के आभूषणों जैसे—चेन, अंगूठी, घड़ियाँ इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल क्षेत्र/कॉम्प्लेक्स में पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है।
9. No person is allowed to keep any valuable e.g. watch/purse/money/ornaments in the change room. If anybody does so he/she shall do the same at his/her own risk and responsibility. The management does not accept the responsibility of safeguarding valuables of members. Ornaments like Chains, Rings, Bangles are not permitted to be worn while swimming. No eatables are allowed in the pool premises. Smoking and consumption of alcohol is strictly prohibited. No pets are allowed in the swimming pool area/complex.
10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार को बन्द रहेगा।
10. The pool will remain closed on every Monday.
11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
11. The permission for use of swimming pool to any swimmer can be terminated at any given time without assigning any reason.
12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बन्द होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रिय) वापिस नहीं किया जाएगा।
12. Refund of swimming fee (daily/monthly/seasonal) will not be made for closure of swimming pool for any reason whatsoever.

संस्थाओं के लिए हिदायतें :-

INSTRUCTIONS FOR INSTITUTIONS

संस्थाएं निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती हैं। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमति दी जाएगी छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूलों/कॉलेजों की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी।

Institution may book/hire the pool on payment of prescribed fee. A maximum of 40 students will be permitted at a given time. Responsibility of safety of students will entirely rest with school/college. If the swimming pool is booked by any institution for coaching/competition, that institution will compensate in full for any damage caused to the swimming pool. The booking of pool by any institution/organisation can be cancelled at any time without assigning any reason. In case of the organisation/institution cancelling their booking, 25 % deposit will be deducted as cancellation charges.

प्रभार/शुल्क :- निर्धारित दर के अनुसार

CHARGES/FEEES:- as per prescribed rate.

समय :-

TIMINGS :

प्रातः :- प्रथम सत्र प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक
MORNING: 1st Session 6.00 AM to 7.00 AM
 द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक
 2nd Session 7.00 AM to 8.00 AM
 तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक
 3rd Session 8.00 AM to 9.00 AM
 चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक
 4th Session 9.00 AM to 10.00 AM
 पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक
 5th Session 10.00 AM to 11.00 AM

सायं:- छटा सत्र शाम 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
EVENING: 6th Session 3.00 PM to 4.00 PM
 सातवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
 7th Session 4.00 PM to 5.00 PM
 आठवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
 8th Session 5.00 PM to 6.00 PM
 नवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक
 9th Session 6.00 PM to 7.00 PM
 दसवां सत्र शाम 7.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक
 10th Session 7.00 PM to 8.00 PM
 ग्यारहवां सत्र शाम 8.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक
 11th Session 8.00 PM to 9.00 PM
 (प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक सफाई)
 (Cleaning 11.00 AM to 3.00 PM)

टिप्पणी :- एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शावर में लगते हैं।

NOTE : One session includes 45 minutes swimming and 15 minutes for change/shower.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

बाल तरण-ताल

TODDLERS POOL

1. प्रविष्टि सदस्यों के बच्चों के लिए जिनकी आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है, "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर सीमित है।
1. Entry is restricted to the children of members between the age of 2 to 5 years on first come first serve basis.
2. बाल तरण-ताल के डैक-क्षेत्र में एक अनुचर उपस्थित रहेगा, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
2. One attendant is allowed at the deck area of Toddler Pool, who will be responsible for the safety of the child.
3. सदस्य के साथ आने वाले अतिथि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर प्रविष्टि की अनुमति होगी बशर्ते, छोटे बच्चों के तालाब में स्थान की गुंजाइश हो।
3. Guest accompanied by the member will be allowed entry on payment of required fee provided there is capacity available in the Toddler Pool.
4. अनुचर स्वागत कक्ष में रखे जाने वाले रजिस्टर में आने और जाने के समय बच्चों का नाम और उसकी सदस्यता संख्या दर्ज करेगा।
4. Attendant will enter the name of child & Membership No. at the time of entry & exit in the register maintained at the reception.
5. तैराकी पास/रसीद प्रवेश के समय स्वागत कक्ष में जमा किए जाएंगे और तालाब छोड़ते समय वापिस लिए जाएंगे।
5. The swimming pass/receipt will be deposited at the reception at the time of entrance and taken back at the time of leaving the pool.
6. पास धारकों को मासिक/सत्रिय पास में यथानिर्धारित आबटित समय और सत्र में ही तैरने की अनुमति दी जाएगी। पास धारक आबटित समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करेंगे।
6. Pass holders will be allowed to swim only in the allotted time and session as indicated in the monthly/seasonal pass. Pass holders must report 15 minutes before allotted time.
7. किसी भी तैराक को तालाब के उपयोग करने की अनुमति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
7. The permission for use of the pool to any swimmer can be terminated at any time without assigning any reason.
8. सभी तैराक समुचित पोशाक पहनकर तैरेंगे। लम्बे बालों वाले बच्चों के लिए कैप अनिवार्य है।
8. All swimmers shall swim in proper costume. Cap is compulsory for long hair children.
9. तालाब के इंचार्ज/कोच/जीवन रक्षक द्वारा किसी भी कारण से दी गई सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा। प्रबंधक/कोच किसी भी बच्चे/अनुचर को, उसके दुर्यवहार अथवा नियमों का उल्लंघन करने के कारण बच्चों के तालाब में प्रवेश करने से मना कर सकता है।
9. All instructions imparted by incharge/coach/life guard of the pool for any reason what-so-ever shall be followed. Manager/coach is authorised to refuse any child or attendant for entering in the Toddler Pool for misbehaviour and infringement of rules.
10. तैरने के दौरान किसी भी चोट लगने अथवा मृत्यु होने के लिए तैराक अथवा अनुचर ही जिम्मेदार होगा। प्रबंधक/कोच किसी भी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. Any injury or loss of life during the swimming period will be at the risk of swimmer or attendant. Management accepts no responsibility for any accident.
11. तैरने के दौरान किसी भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी हर्जाने या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. No compensation or claim shall be entertained in case of any mishap or loss of life during the swimming period.
12. चर्मरोग, खांसी या जुकाम से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. Any one suffering from skin disease, cough and cold is not allowed to swim.
13. सदस्यों से अनुरोध है कि ये तालाब में न तो थूके और न ही किसी भी तरह से उसे प्रदूषित करें।
13. Members are requested not to spit in/pollute the pool in any way.
14. आगन्तुकों को तालाब के डैक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
14. Visitors are not allowed to enter in the deck area of the pool.

15. तरण-ताल परिसर में खाने-पीने का कोई भी सामान नहीं लाया जाना चाहिए ।
15. No eatables shall be brought in the swimming pool premises.
16. किसी भी कारण से तालाब बन्द होने की स्थिति में पासों पर भुगतान वापिस नहीं किया जाएगा ।
16. Refunds on passes will not be paid for closure of pool for any reason what-so-ever.

समय :-

TIMINGS

प्रातः :- प्रथम सत्र प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक
MORNING: 1st Session 6.00 AM to 7.00 AM
 द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक
 2nd Session 7.00 AM to 8.00 AM
 तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक
 3rd Session 8.00 AM to 9.00 AM
 चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक
 4th Session 9.00 AM to 10.00 AM

पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक
 5th Session 10.00 AM to 11.00 AM

सायं:- छटा सत्र शाम 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
EVENING: 6th Session 3.00 PM to 4.00 PM
 सातवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
 7th Session 4.00 PM to 5.00 PM
 आठवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
 8th Session 5.00 PM to 6.00 PM
 नवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक
 9th Session 6.00 PM to 7.00 PM
 दसवां सत्र शाम 7.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक
 10th Session 7.00 PM to 8.00 PM
 ग्यारहवां सत्र शाम 8.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक
 11th Session 8.00 PM to 9.00 PM
 (प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक सफाई)
 (Cleaning 11.00 AM to 3.00 PM)

टिप्पणी :- एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शower में लगते हैं ।

NOTE :- One session includes 45 minutes swimming and 15 minutes for change/shower.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
खेल उप-विधि
SPORTS BYE-LAWS

व्यायामशाला

FITNESS CENTRE

1. प्रवेश के समय प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्वागत कक्ष में रखे जाने वाले रजिस्टर में अपना नाम लिखना आवश्यक है। सदस्यों को इस कोड अर्थात् ट्रैक सूट, टी-शर्ट टाइट्स आदि पहनना आवश्यक है।
1. At the time of entry each user is required to register his/her name in the register maintained at the reception. Members are also required to be attired in the dress code i.e. Track suit, T-shirts, tights etc.
2. स्टाफ के सदस्य अथवा किसी अन्य सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का दुर्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रबंधकों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य को जिमनेजियम के उपयोग करने की अनुमति को समाप्त करने का पूरा अधिकार है।
2. Misbehaviour of any kind with staff member or other members will not be tolerated. The management reserves full right to terminate the permission to use gymnasium to any member at any given time, without specifying the reasons.
3. सदस्यों को परिसर में अपना प्रशिक्षक (कोच) लाने की अनुमति नहीं है। प्रबंधकों द्वारा उनके लिए एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें पूर्णतया अनुशासन का अनुपालन करना और दी गई हिदायतों का पालन करना अति आवश्यक है। प्रशिक्षक को किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुर्यवहार करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने के कारण सुविधा का उपयोग करने से मना करने का पूरा अधिकार है।
3. Members are not allowed to bring their own coach in the premises. They will be provided an instructor by the management. They are also required to observe strict discipline & follow the given instructions. The instructor has full right to refuse the use of facility to any person for misbehaviour or infringement of rules.
4. विकलांग/गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्यों को फिटनेस सेंटर का उपयोग करने से मना कर दिया जाएगा।
4. Members with disability conditions/serious health problems will be denied the use of the fitness centre.
5. सदस्यों को फिटनेस सेंटर में अपने साथ अपने पालतू जानवर लाने की अनुमति नहीं है। जिमनेजियम में पानी के अतिरिक्त कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय/शराब आदि लाने की अनुमति नहीं है। धूम्रपान करना, शराब पीना अथवा नशीले पदार्थ का सेवन करना सख्त मना है। म्यूजिक सिस्टम पर अपने कैसिट सुनना या बजाना मना है।
5. Members are not allowed to bring their pets in the fitness centre. No eatables beverages (except water) shall be brought in the gymnasium. Smoking, consuming alcohol or use of any drugs is strictly prohibited. Playing personal cassettes on the music system is not allowed.
6. सुविधा का उपयोग करते समय किसी को कोई दुर्घटना होने अथवा चोट लगने के लिए प्रबंधक जिम्मेदार नहीं होंगे। सेंटर का उपयोग सदस्य के जोखिम पर होगा। अतः दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. The management will not accept responsibility of any accident or injury suffered while using the facility. Using the centre will be at the risk of the member. Likewise, no compensation claim in case of mishap or loss of life shall be entertained.
7. सदस्यों की कीमती चीजों की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रबंधकों की नहीं होगी। सदस्यों को चेन्ज रूम में अपने कीमती सामान घड़ी/पर्स/रुपया-पैसा/आभूषण रखने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति ऐसा काम अपने जोखिम पर करेंगे।
7. The responsibility of safe keep of members valuables does not fall under the purview of the management. Members are not allowed to keep any valuables/watch/purse/money/ornaments in the change room. Those deviating from these rules shall be doing so at their own risk.
8. प्रभार/शुल्क :- निर्धारित दर के अनुसार
8. Charges/Fee- as per prescribed rate.

9. समय :-

9. TIMINGS :-

गर्मियों में : (1 मार्च से 30 नवम्बर तक)

Summer- (1st Mar. to 30 Nov.)

प्रातः 6.00 बजे से सायं 10.00 बजे तक सायं

4.00 बजे से सायं 9.00 बजे तक

6.00 AM to 10.00 AM & 4 PM to 9 PM

सर्दियों में : (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक)

Winter- (1st Dec. to 28th Feb.)

प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे एवं

सायं 4.00 बजे से सायं 8.30 बजे तक

6.00 AM to 10.30 AM & 4 PM to 8.30 PM

टिप्पणी :-

NOTE :-

1. व्यायामशाला (फिटनेस सेन्टर) लाइसेंस पर उस व्यावसायिक व्यक्ति को दिया जाता है, जो इसका ठीक प्रकार से संचालन और रख-रखाव कर सके। यदि कोई शिकायत करनी हो अथवा सुझाव देना हो तो उसे लाइसेंसधारी के पास रखी हुई शिकायत/सुझाव पुस्तिका में लिखकर देना चाहिए।
1. Fitness Centre is given on license to a professional who is responsible for its smooth operation and maintenance. Should there be any complaint or suggestion, the same may be written in the complaint/suggestion book maintained with the licensee.
2. सदस्यगण किसी शिकायत/सुझाव के बारे में प्रबंधक/सहायक प्रबंधक को भी सूचित कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े, तो सचिव, नेता जी खेल परिसर को लिखित में दे सकते हैं।
2. Members may also inform of any complaint/suggestion to Manager/Asstt. Manager and if need be give in writing to Secretary, Netaji Sports Complex.

15. स्टाफ सदस्यता :

15. Staff Membership

इस प्रकार की सदस्यता केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तक सीमित है ।

The type of membership is restricted only to employees of the DDA.

16. अतिथि सदस्यता :

16. Guest Membership

नियमित सदस्य, निर्धारित शुल्क के भुगतान की शर्त पर परिसर की उप-विधियों के अनुसार, परिसर की सुविधाएं लेने के लिए अतिथि ला सकते हैं । अतिथि एवं सदस्य का नाम, इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में लिखा जाएगा । ड्यूटी प्रभारी को अतिथि सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के सभी अधिकार हैं ।

Guests can be brought by the regular member to avail facilities of the Complex as per bye-laws of the Complex, subject to payment of charges as prescribed. The name of the guest and that of the member will be entered in the book kept for the purpose. The duty in-charge has the right to refuse or accept guest membership.

16.1 सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा ।

16.1A member will be responsible for the conduct of his/her Guest.

16.2 प्रबंध-तंत्र / ड्यूटी प्रभारी किसी भी अतिथि को व्यस्त घंटों अर्थात् प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (ग्रीष्मकाल में) और प्रातः 6.30 से प्रातः 8.30 बजे तक तथा सायं 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक (सर्दियों में) किसी भी सुविधा के लिए मना कर सकता है ।

16.2 Management/duty in-charge has the right to refuse any guest during peak hours i.e. 6.00 to 8.00 AM and 7.00 to 9.00 PM (in summer) & 6.30 to 8.30 AM and 6.30 to 8.30 PM (in winter) for any facility.

17. आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो एवं खेलो)

17. Casual Membership (Pay & Play)

परिसर प्रभारी क्रमशः भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को आकस्मिक सदस्यता (केवल दिन के समय वैध) निर्धारित प्रभार तथा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य प्रभारों के भुगतान पर दे सकता है । इसी श्रेणी की सदस्यता खेल-सुविधाएं उपलब्ध होने की शर्त पर दी जाएगी ।

Casual membership (valid for the day) may be allowed by Complex in-charge subject to payment of charges as prescribed for Indian Nationals and Foreign Nationals respectively and other charges as may be prescribed from time to time. This category of membership will be allowed subject to availability of sports facilities.

18. मृतक सदस्यों की विधवा/विधुरों की पृथक सदस्यता ।

18. Membership of widows/widowers

किसी मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करती/करता है, उसे निदेशक (खेल) के अनुमोदन पर सदस्य बनाया जा सकता है । ऐसे मामलों में कोई प्रवेश शुल्क देय नहीं होगा । तथापि, सदस्यता आर्बिट्र करने से पहले पिछले बकाया शुल्क का निपटान करना होगा ।

In the case of widow/Widower of a deceased individual member who applies to be admitted as an individual member, she/he may be made a member, subject to the approval of Director (Sports). No entrance fee shall be payable in such Cases, However, previous outstanding dues will be settled before membership is allotted.

19. सदस्यता कार्ड :

19. Membership Card

19.1 प्रत्येक सदस्य (आकस्मिक सदस्य को छोड़ कर) को, सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर खेलने की अनुमति दी जाएगी ।

सदस्यों एवं आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पृथक सदस्यता कार्ड बनवाने होंगे । कार्ड पर सदस्यों/आश्रितों के 1x1½ आकार के रंगीन फोटो चिपकाने होंगे । सदस्यता कार्डों के लिए भुगतान और शर्तें यथानिर्धारित हैं ।

19.1 Each member and dependent member (Except for casual member) will be permitted to use the facilities only on production of membership card. Separate membership cards for members and dependents are required to be made on payment of prescribed charges. Member's/ dependent's coloured photograph of size 1"x1½" has to be affixed on the card in the complex on the payment terms for membership cards as prescribed.

19.2 सदस्यता कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने और निर्धारित तारीख के बाद कार्ड लेने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी ।

19.2 It is the responsibility of the member to apply for preparation of membership card and to collect it after the due date.

19.3 कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना या कार्ड नहीं लेना सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करते हुए मासिक अंशदान का भुगतान नहीं करने के लिए क्षम्य नहीं होगा ।

19.3 Not applying or collecting the card will not be an excuse for not paying monthly subscription using the facilities without having the membership Card.

19.4 कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड बनवाने के लिए जुर्माना और यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा ।

19.4 Loss of card will invite penalty plus additional charges as prescribed for making a duplicate card.

known address as per records of the complex asking him to clear it within 15 days of the issue of notice. If the member fails to pay the dues within the stipulated period, his/her name will be put up in the defaulter's list on the complex's Notice board for another 15 days and thereafter his membership will automatically stand terminated.

25. रद्द की गई सदस्यता बहाल करना

25. Restoration of Cancelled Membership

सामान्यतः अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक नौ दो वर्षों की अवधि के अंदर आवेदन किया हो और निदेशक (खेल) उस आवेदन से संतुष्ट हों तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अवधि सहित आज तक की बकाया राशि के साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुल्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा।

Restoration of Membership is normally not permitted except in exceptional cases if applied within a period of two years subject to the satisfaction of Director (Sports) and on payment of 1/3rd of the current membership entrance fee along with upto date payment of arrears including the period for which membership remained under cancellation.

25.1 यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा :-

25.1 Request for restoration of membership will not be entertained where membership was cancelled :-

(क) सदस्य के अनुरोध पर।

(a) On the member's request.

(ख) दुराचार या खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल-परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप-विधियों का उल्लंघन किया गया हो।

b) For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the complex or infringement of rules/regulations and bye-laws of the sports complex.

(ग) यदि किसी सदस्य ने प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार या नैतिक पतन के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो।

(c) If any member is proceeded against for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Board.

25.2 जिस अवधि के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अवधि की अनुपस्थित सदस्यता (प्रभावित अवधि) की सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास-स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

25.2 Proof of out of station/residence submitted for restoration of membership will not be entertained for absentee membership of period (affected period) for which membership remained under cancellation.

26. अस्वीकृत चैक

26. Dishonoured Cheques

'सदस्यों के चैक "चैक काटने वाले को वापिस", "धनराशि उपलब्ध नहीं है" और सदस्य द्वारा भुगतान रोकने" अथवा अन्य किसी कारण से चैक अस्वीकृत हो जाने पर सदस्य को तत्काल 35/- ₹0 की जुर्माना राशि के साथ देय राशि का नकद भुगतान करना होगा। नियमों में दी गयी निर्वाचित अवधि के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

Members whose cheques deposited with the complex, are dishonoured either due to "Refer to Drawer" "funds not catered" or "stoppage of payment" or for any other reason will be required immediately to pay their dues in cash along with a penalty of Rs. 35/-. In the event of payment not being made within the specified period as given in the rules, the membership is liable to be terminated.

27. सदस्यों को नोटिस

27. Notices to Members

जिन मामलों में किसी भी नियम के अंतर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्त कि अन्य व्यवस्था न हो।

In all cases where it is necessary to give notice to members under any of the rule, it shall be sufficient that such notice be sent or posted to their last known address, save as otherwise provided.

28. नियमों और उप-विधि का उल्लंघन होना

28. Violation of Rules & Bye-Laws

प्रबंध बोर्ड को नियमों और उप-विधियों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्यता को समाप्त करने के लिए और परिसर के उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

The Management Board is empowered to suspend the membership of any member for violation of rules and bye-laws and can disqualify him/her for the use of complex facilities.

29. सदस्यों का आचरण

29. Conduct of Members

यदि परिसर-प्रभारी की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।

In case the conduct of a member or dependant, in the opinion of the complex incharge is injurious to the character and interest of the complex, his/her membership shall be suspended/terminated.

30. अनुपस्थित-बाह्य सदस्यता

30. Absentee Outstations Membership

30.1 ऐसे सदस्य, जिन्हें दिल्ली/देश से अस्थायी रूप से लगातार न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हो, वे अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उक्त सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुसंध-पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता कार्ड जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।

30.1 Members who may be remaining temporarily out of Delhi/Country for a minimum period of three months at a time may apply for absentee (outstation) membership. This will commence only from the date of their departure and subject to the receipt of written communication along with documentary proof in the form of office order, transfer certificate, passport/visa etc. Absentee (outstation) membership will be approved on the surrender of cards which can be reclaimed on return by the member.

30.2 सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि, यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश से बाहर ठहरे हुए हों तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रूप में पृथक् से अनुमति दी जा सकती है।

30.2 Dependants will also be treated as outstation absentee members along with the member. Dependents, however, can be granted permission for being outstation absentee members separately if they are staying outside for studies etc. subject to providing proof and surrendering of cards.

30.3 किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।

30.3 Not using the complex for any reason is no excuse for claiming absentee (outstation) membership.

30.4 उप नगरों जैसे-नोएडा, फरीदाबाद, गुडगांव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।

30.4 Satellite towns like Noida, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, Bahadurgarh are treated as being within Delhi.

30.5 अनुपस्थित सदस्य और प्रत्येक आश्रित के लिए मासिक अंशदान उक्त पैरा-20 में निर्धारित है।

30.5 Monthly subscription for absentee member and dependants is prescribed at Para 20 above.

30.6 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता की अनुमति अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए दी जा सकती है।

30.6 Absentee (outstation) membership will be granted for a maximum period of five years continuously.

30.7 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। वह लिखित अनुसंध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।

30.7 Absentee (outstation) membership will not be granted ex post-facto. It will commence from the date of receipt of written request & completion of usual formalities.

31. सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग

31. Use of Complex by Govt./recognised Schools/Colleges/Institutions.

स्कूलों/महाविद्यालयों को परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की अनुमति बैच बुकिंग आधार पर एक माह की अवधि के लिए दी जा सकती है। यह अनुमति खेलों, जैसे-बास्केट बाल, फुटबाल, हाकी, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, आदि के लिए समय-समय यथा निर्धारित नाम मात्र के प्रभार पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्रति घंटा/प्रति माह के आधार पर है। यह अनुमति मैदान उपलब्ध होने पर दी जाएगी।

Permission to Schools/Colleges to use the facilities of the complex can be granted on batch booking basis for a period of one month. This is applicable to games like Basketball, Football, Hockey, Table-Tennis, Badminton, Squash etc on nominal charges as fixed from time to time for each category per hour per month. This permission will be granted subject to availability of grounds/courts/tables.

32. नियमों और उप-विधि की प्रतियां

32. Copies of Rules & Bye-Laws

32.1 परिसर के प्रशासनिक कार्यालय में संदर्भ के लिए नियमों और उप-नियमों की प्रति उपलब्ध होगी और इनकी प्रति परिसर के सदस्यों द्वारा मांग करने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।

32.1 A copy of the rules and by-laws will be available in the Complex Administrative office for any reference and shall be furnished to members of the complex on payment of prescribed fee.

32.2 परिसर की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधियों को मानने के लिए बाध्य है।

32.2 Any person who has taken up membership of the complex is bound by the rules, regulations and bye-laws of the complex.

33. गैर सदस्य छात्रों द्वारा खेल सुविधाओं का उपयोग

33. Utilisation of Sports facilities by students who are not members.

"छात्रों को अपना पहचान-पत्र दिखाकर खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक लाभ उठाने की अनुमति है, जिसके लिए उन्हें 10/- रु प्रति दिन अथवा 200/- रु प्रति माह या शुल्क की यथा संशोधित दरों का भुगतान करना होगा। तथापि, उन पर परिसर के अन्य नियम एवं विनियम और उप-नियम लागू होंगे।"

Students are permitted to use sports facilities at sports complex between 10.00 AM to 4.00 PM on production of their Identity Card and subject to payment of Rs. 10/- per day or Rs. 200/- per month or as revised rates of fee. Other rules and regulations & bye-laws of the complex will remain the same for them.

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
विषय सूची
CONTENTS

अध्याय Chapter	संख्या Number	पैरा Para	पृष्ठ सं० Page No.
उप-विधि Bye-Laws	1.	परिभाषा Definition	13
	2, 3, 4 एवं 5 2, 3, 4, & 5 6 एवं 7 6 & 7 8.	कार्य-दिवस एवं समय Working Days & Timings परिसर के कर्मचारी Complex Staff कर्मचारियों को इनाम देना Tipping to Staff	13 13 13 14
	9.	पौधों, पौध एवं लघु पौधों की आपूर्ति Supply of Plants, Seedlings & Saplings	14
	10.	वस्तुओं/ सामग्रियों की बिक्री Selling of items/material	14
	11.	टूट-फूट Breakages	14
	12.	सुझाव एवं शिकायतें Suggestions & Complaints	14
	13.	परिसर का सामान Articles of the Complex	14
	14.	पालतू पशु Pets	14
	15.	साइकिल/ स्कूटर Cycles/Scooters	14
	16.	नोटिस Notices	14-15
	17, एवं 18 17. & 18	भुगतान Payments	15
	19, 20, 21, एवं 22 19, 20, 21, & 22	वाहनों की पार्किंग Parking of Vehicles	15
	23.	परिसर में तेज गति से वाहन चलाना Overspeeding in the Complex	15
	24 एवं 25	वर्दी विनियम Dress Regulations	15
	26.	अल्पाहार Refreshment	15
	27.	मद्यपान एवं धूम्रपान Drinking & Smoking	15
	28.	फिल्म बनाना/ फोटो खींचना Shooting/Photography	15
	29. एवं 30 29 & 30	अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलंबन Suspension of Membership for indiscipline	15-16
	31.	खेल उप-विधियाँ Sports Bye-Laws	16-17

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
विषय सूची
CONTENTS

अध्याय Chapter	परिशिष्ट Appendices	खेल Game	पृष्ठ सं० Page No.
खेल उप-विधियाँ Sports Bye-Laws	ए. A बी. B सी. C डी. D ई. E एफ. F जी. G एच. H आई. I जे. J के. K एल. L एम. M एन. N ओ. O पी. P क्यू. Q आर. R एस. S	टेनिस Tennis टेबल टेनिस Table Tennis बैडमिंटन Badminton स्क्वाश Squash बिलियर्ड्स / स्नूकर Billiards/Snooker ताइक्वांडो / कराटे / जूडो Taekwondo/Karate/Judo क्रिकेट Cricket क्रिकेट-प्रैक्टिस पिच Cricket-Practice Pitches हाकी / फुटबाल Hockey/Football एरोबिक्स Aerobics योग Yoga बास्केट बाल / वालीबाल Basketball/Volleyball तैराकी Swimming बाल तरण-ताल Toddlers Pool व्यायामशाला / मल्टीजिम Fitness Centre/Multigym स्केटिंग Skating स्कूलों / कॉलेजों / सार्वजनिक संस्थानों के लिए उप-विधियाँ Bye-laws for Schools/Colleges/Public Institutions उप-विधियों का सारांश Summary of Bye-Laws महत्वपूर्ण खेलों की सूची का सारांश Summary of Important bye-laws	18-19 20 21 22 23-24 25 26 27-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-38 39 40 41-43 44

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NETAJI SUBHASH

खेल परिसर
SPORTS COMPLEX
नियम एवं विनियम
RULES & REGULATIONS

1. भूमिका

Introduction

नेताजी सुभाष खेल परिसर की स्थापना, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में खेलों के विकास एवं प्रसार के एक भाग के रूप में की है। इस निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केट बाल, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी एरोबिक, योग, ताइक्वोंडो मल्टीजिम, तैराकी, स्केटिंग, जागिंग, जैसी खेल सुविधाएं होंगी। अन्य खेलों की सुविधाएं बाद में दी जाएंगी।

Netaji Subhash Sports Complex has been set up by the Delhi Development Authority as a part of development and growth of Sports in Delhi. The name of the body will be Delhi Development Authority Netaji Subhash Sports Complex. It provides playing facilities such as - Tennis, Basketball, Squash, Table Tennis, Billiards, Cricket, football, Hockey, Yoga, Taekwondo, Multigym, Swimming Skating, Badminton & Aerobics, Facilities for other sports may be added subsequently.

2. उद्देश्य :

Objectives

दिल्ली विकास प्राधिकरण नेताजी सुभाष खेल परिसर (इसे आगे खेल परिसर कहा गया है) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

The objective of the DDA Netaji Subhash Sports Complex (hereinafter called the Sports Complex) are :-

- (क) मुख्य योजना की आवश्यकतानुसार दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजनात्मक एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना।
- (A) To provide recreational & healthy environment to the citizens of Delhi keeping in view the requirement of Master Plan.
- (ख) सामान्य रूप से दिल्ली के नागरिकों में और विशेष रूप से परिसर के सदस्यों में खेल-गतिविधियों और पारस्परिक सहायता की भावना उत्पन्न करना।
- (B) To induce sports activities and spirit of mutual help and goodwill among citizens of Delhi in general and in members of the body in particular.
- (ग) विभिन्न खेलों जैसे टेनिस, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, ताइक्वोंडो, एरोबिक्स, तैराकी और अन्य टीम खेलों को बढ़ावा देना।

(C) To promote various sports e.g. Tennis, Squash, Table Tennis, Billiards, Badminton, Taekwondo, Aerobics, Swimming, and other team games.

3. सामान्य उद्देश्य :

General Objectives

- (क) खेल परिसर द्वारा उपलब्ध कराये गए खेलों के संबंध में प्रयुक्त सभी प्रकार के उपकरणों/सामग्रियों को खरीदना, तैयार करना, उनकी आपूर्ति/बिक्री, या उनसे संबंधित कार्य करना।
- (A) To buy, prepare, supply, sell or deal in all kinds of apparatus/materials used in connection with games provided by the Sports Complex.
- (ख) खेल-परिसर चलाने के संबंध में आवश्यक सभी प्रकार के फर्नीचर, उपकरणों, औजारों, बर्तनों, कपड़ों, लेखन-मदों, कार्डों और अन्य मदों को खरीदना, किराए पर लेना, बनाना या उपलब्ध कराना।
- (B) To purchase, hire, make or provide and maintain all kinds of furniture, implements, tools, utensils, linen, stationery, cards and other items required in connection with the running of the Sports Complex.
- (ग) परिसर के दैनिक चालन के लिए आवश्यक मार्कर, प्रशिक्षकों, अनुदेशकों, ग्राउण्ड्समेन और अन्य कर्मचारियों को किराए पर लेना, रखना और कार्य करवाना तथा सहमति और सेवा-शर्तों के अनुसार भुगतान करना।
- (C) To hire, engage and employ markers, coaches, instructors, groundsmen and other staff required for day to day running of Complex and pay them as per service conditions as may be agreed upon.
- (घ) दिल्ली में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड के सम्पूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और विनिदेश में कार्य करना।
- (D) To work under overall control, supervision and direction of the Management Board under the chairmanship of Hon'ble L.G. of Delhi for promotion of sports facilities in Delhi.
- (ङ) उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सभी विधि संगत कार्य करना जो संबंधित या उपयोगी हों।
- (E) To do all other lawful things as are incidental or conducive for the attainment of the above objectives.

(च) प्रबंध बोर्ड को खेल-परिसर के उपयुक्त संचालन और प्रबंध के लिए उन सभी नियमों/उप-विधियों में समय-समय पर ऐसे संशोधन एवं निरस्त करने की शक्तियां होंगी, जो वह आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

(F) The Management Board shall have power from time to time make, after and repeal all such rules/bye-laws as they may deem necessary or convenient for the proper conduct and management of the Sports Complex.

4. सदस्यता :

Membership

विभिन्न प्रकार की सदस्यताओं का विवरण नीचे दिया गया है और बाद वाले पैराग्राफ में उनकी परिभाषा दी गई है। सभी वर्गों की सदस्यता का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किया जाएगा। तथापि सदस्यता लेने से खेल-परिसर में केवल खेलने का अधिकार ही होगा।

Various categories of membership are given below and are defined in succeeding paragraphs. Membership in respect of all categories will be approved by or on behalf of the Management Board. Membership, however, only provides playing right in the Sports Complex.

- (क) व्यक्तिगत सदस्यता : भारतीय/विदेशी नागरिक।
- (A) Individual Membership, Indian/Foreign Citizen.
- (ख) आश्रित सदस्यता
- (B) Dependent Membership
- (ग) एसोशिएट सदस्यता
- (C) Associate Membership
- (घ) वरिष्ठ नागरिक सदस्यता
- (D) Senior Citizen Membership
- (ङ) निगमित सदस्यता भारतीय/विदेशी कंपनियां।
- (E) Corporate Membership, Indian/Foreign Companies.
- (च) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता
- (F) Non Resident Indian (NRI) Membership
- (छ) अस्थायी सदस्यता
- (G) Temporary Membership
- (ज) विशेष अस्थायी सदस्यता
- (H) Special Temporary Membership
- (झ) मानद सदस्यता
- (I) Honorary Membership
- (य) विशेष मानद सदस्यता
- (J) Special Honorary Membership
- (ट) स्टाफ सदस्यता (केवल दि.वि.प्रा. स्टाफ)
- (K) Staff Membership (DDA Staff only)
- (ठ) अतिथि सदस्यता
- (L) Guest Membership
- (ड) आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो और खेलो)
- (M) Casual Membership (Pay & Play)

5. व्यक्तिगत सदस्यता :

Individual Membership

21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने का पात्र होगा। दी गई सदस्यता हस्तांतरित नहीं की जाएगी। कोई भी सदस्य अपनी पत्नी/पति और बच्चों (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के) को अपने "आश्रित" के रूप में नामांकित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आश्रितों का नामांकन करना अनिवार्य है। आश्रित सदस्यों के संबंध में समय-समय पर यथानिर्धारित मासिक अंशदान, व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए परिवार के विवरण के अनुसार की जाएगी। नामांकित किए गए आश्रित सदस्य, 21 वर्ष की आयु अर्थात् एसोशिएट सदस्यता के लिए पात्रता की आयु प्राप्त करने तक आश्रित सदस्य के रूप में रहेंगे। तथापि प्रबंध बोर्ड को आश्रितों की सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार है।

Any individual above 21 years of age shall be eligible for becoming a regular member. The membership once granted shall not be transferred. Individual member can nominate his/her spouse and children (between the age of 5 years to 21 years) as dependant. It is necessary to nominate dependants at the time of applying for individual membership. The monthly subscription in respect of dependants members as prescribed from time to time shall be effective from the date of approval of individual membership. The total monthly subscription shall thus be calculate as per the family details given by the member. The dependant members once nominated are liable to be continued as dependant members till they attain the age of 21 years, the eligible age for Associate Membership. The Management Board, however, reserves the right to refuse or accept the membership of the dependants.

6. आश्रित सदस्यता :

6. Dependant Membership

- 6.1 पत्नी/पति एवं 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक के कानूनी बच्चे आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। तथापि, आश्रितों को सदस्यता नामित करेंगे और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आवेदन फार्म/उप-विधि फार्म में उनके विवरण देंगे।
- 6.1 Spouse and legal children-between the age of 5 years to 21 years, are eligible to become dependent members, Dependents, however, have to be nominated by the member and their details should be disclosed in the application form/bye-laws form at the time of applying for any category of membership.
- 6.2 कोई भी सदस्य, जो खेल परिसर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए विवाह करता है, वह अपनी पत्नी/पति को, अपने विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल कर सकता/सकती है। इसी तरह, बच्चों को 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आश्रित

के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रित का नाम शामिल कराने, उनके अंशदान का भुगतान करने आदि की जिम्मेवारी सदस्यों की है। ऐसे मामलों में मासिक अंशदान, उनके विवाह के महीने या बच्चों के 5 वर्ष का आयु प्राप्त करने के महीने से प्रभावी होगा।

6.2 Any member who gets married after obtaining the membership of the Sports Complex may get his/her spouse included as dependent from the date of marriage. Similarly, children on attaining the age of 5 years are permitted as dependents. The onus of including the name of dependents, and payment of their subscription lies with the member. The monthly subscription in such cases shall be effective from the month of their getting married or children attaining the age of 5 years.

6.3 यदि आश्रितों के अंशदान का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया जाता है तो आश्रित को सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

6.3 Unless payment of subscription for dependents is made from the date of approval of individual membership, dependants will not be issued the membership card.

6.4 आश्रित बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह आश्रित सदस्य नहीं रहेगा। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड वापस करना होगा।

6.4 Dependant children will cease to be dependent member on attaining the age of 21 years. They must surrender their membership card.

6.5 यदि कोई व्यक्तिगत सदस्य अपने आश्रितों को बाद में किसी चरण पर सदस्य बनाने का इच्छुक है तो उसे पूर्व प्रभाव अर्थात् व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से लागू मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा।

6.5 The individual member intending to enroll his dependents as members at a later stage shall have to pay the monthly subscription as applicable with retrospective effect i.e. from the date of approval of his/her membership.

6.6 आश्रित कार्ड एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और नए कार्ड प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नए फोटो के साथ बदले जाएंगे।

6.6 Dependent cards will be issued for a period of 5 years at a time and new cards will be changed every 5 years with latest photographs.

7 एसोशिएट सदस्यता

7. Associate Membership

किसी सदस्य का आश्रित बच्चा, जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक परिसर का उपयोग किया है, 21 वर्ष की आयु का होने पर यदि वह परिसर का उपयोग करना जारी रखने का इच्छुक हो तो एसोशिएट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। स्थान उपलब्ध होने के आधार पर प्रबंध बोर्ड उसे निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर एसोशिएट सदस्यता दे सकता है :-

On attaining the age of 21 years, the dependent children of a member who have used the complex for a minimum period of one year may apply for Associate membership

if he/she wishes to continue the use of the complex. Depending upon the availability of vacancies, the Sports Management Board may grant Associate Membership subject to following conditions :-

(क) 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के एक वर्ष के अंदर एसोशिएट सदस्य बनने का विकल्प दिया जाए।

(A) Option to become Associate member must be exercised within one year of attaining the age of 21 years.

(ख) प्रचलित प्रवेश-शुल्क के 50% के बराबर अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा।

(B) Payment of a non-refundable entrance fee is equivalent to 50% of prevalent entry fee.

7.1 एसोशिएट सदस्य के लिए मासिक अंशदान शुल्क व्यक्तिगत सदस्य के शुल्क के समान ही होगा।

7.1 The monthly subscription for Associate members will be same as for the individual members.

7.2 एसोशिएट सदस्य को अपने अश्रितों का नाम शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं होगी।

7.2 Associate members are not permitted to add dependents & to bring guests.

8. वरिष्ठ नागरिक सदस्यता

Senior Citizen Membership

वरिष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन व्यक्तियों के लिये है, जो 60 वर्ष की आयु के हो चुके हैं। इसके लिए उन्हें आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पति/पत्नी के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक सदस्यों के 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी सामान्य मासिक अंशदान का भुगतान करके उनके आश्रित सदस्य बन सकते हैं। तथापि आश्रित सदस्य के 21 वर्ष के हो जाने के बाद यदि वे इस सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे तो एसोशिएट सदस्यता लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और व्यक्तिगत सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि सदस्यता उपलब्ध हो और कमेटी/बोर्ड उनकी सदस्यता को अनुमति कर दें। "Senior Citizens Membership is meant only for those who have attained the age of 60 years. This will be against proof of age. Apart from spouse the children of Senior citizen members below 21 years of age can become dependent members on payment of normal monthly subscription. However, after the dependent attains 21 years of age and he/she desires to continue using the facility then he/she will not be considered for Associate Membership and will require to apply for individual Membership subject to availability of vacancy and approval of the Committee/Board".

9. निगमित सदस्यता :

Corporate Membership

सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाएं अनुमोदन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क के भुगतान की शर्त पर निगमित सदस्यता के लिए पात्र हैं। एक नामित व्यक्ति को समय-समय पर यथानिर्धारित

मासिक अंशदान पर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रायोजक संस्था पूर्व सूचना देकर नामित व्यक्ति का नाम परिवर्तित करा सकती है और नामित व्यक्ति का परिवर्तन होने से पहले अनुमोदन ले सकती है। विगत नामित व्यक्ति का कार्ड वापस लौटाना होगा।

Public sector and private commercial firms are eligible for Corporate membership subject to approval and payment of prescribed entrance fee. One nominee will be allowed to use the facilities on monthly subscription as prescribed from time to time. The sponsoring firm may get the name of nominee changed by giving prior intimation and taking approval before change of nominee is effected. The cards of the previous nominees will be surrendered.

10. अनिवासी, भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता :

10. NRI Membership

अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश-शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। राशि का भुगतान निर्धारित बैंक के माध्यम से अनिवासी खाते से निर्धारित प्रवेश-शुल्क की समकक्ष राशि के रुपये में ड्राफ्ट द्वारा और बैंक से इस आशय से एक प्रमाणपत्र के साथ भुगतान किया जाए कि राशि व्यक्ति के अनिवासी खाते से डेबिट कर दी गई है।

NRIs are eligible to obtain individual membership subject to payments of prescribed entrance fee. The amount should be paid by draft in Rupees from non-resident account of the NRI through a scheduled bank along with a certificate from the bank certifying that the amount has been debited from NRI account of the individual.

11. अस्थायी सदस्यता :

11. Temporary Membership

अस्थायी सदस्यता, यथानिर्धारित अप्रतिदेय शुल्क का एक साथ भुगतान पर 3 महीनों की अवधि के लिए दी जाती है। यह पारिवारिक सदस्यता है। आश्रितों (पत्नी/पति एवं बच्चों) को आश्रित के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा भुगतान बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में अग्रिम रूप में करना होगा। अस्थायी सदस्यों को अतिथि लाने की अनुमति नहीं होगी।

Temporary Membership is for a period of 3 months on one time non-refundable payment of fee as prescribed. It is family membership. Spouse and children constitute the family. Dependents (spouse and children) pay the prescribed fee for the dependent membership. Payment should be made in advance by way of Bank Draft/Pay Order Temporary members are not allowed to bring Guest.

11.1 अस्थायी सदस्यता सचिव द्वारा पहले आओ-पहले पाओ आधार पर और स्थान उपलब्ध होने पर दी जाती है।

11.1 Temporary membership is given by the Secretary on first come first serve basis and on availability of vacancy.

11.2 आवेदन को पृथक् सदस्यता कार्डों के लिए अपने तथा आश्रितों के टिकट के आकार के दो फोटो देने होंगे। 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के जन्म-प्रमाणपत्र की एक प्रति भी जमा करानी होगी।

11.2 Applicant is required to submit two stamp size photographs of self and dependants for separate membership cards. A copy of birth certificate for dependent legal children between the age of 5 years to 21 years is also required.

12. विशेष अस्थायी सदस्यता :

12. Special Temporary Membership

परिसर के 2 कि.मी. दायरे में रहने वाले केवल सरकारी कर्मचारी प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन और आवेदक की पत्नी/पति और बच्चों (21 वर्ष से कम आयु के) के लिए एक वर्ष के लिए एक समयकालिक अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर इस प्रकार की सदस्यता लेने के पात्र हैं। बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।

Only Central Govt. Officials residing within the radius of 2 Kms. from the complex are eligible for this type of membership, subject to approval by the Management Board and on payment of prescribed fee as one time non-refundable fee for one year for the applicant, spouse and children (children below 21 years). Officials working in Banks, Public Sectors and Autonomous bodies are not eligible for this type of membership.

13. मानद सदस्यता :

13. Honorary Membership

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य मानद सदस्य होंगे।

Past and present Chairman, Vice-Chairman, Finance Member and Engineer Member of DDA will be the honorary members.

14. विशेष मानद सदस्यता

14. Special Honorary Membership

यह सदस्यता दिल्ली के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त या उत्कृष्ट राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। विशेष मानद सदस्य प्रवेश-शुल्क के भुगतान से छूट होगी किंतु उनसे सामान्य मासिक अंशदान निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाएगा।

This is offered to Arjuna Awardees or to exceptional National/International players residing in Delhi as per the rules framed by the Sports Management Board. Special Honorary member will be exempted from paying the entry fee but will be charged normal monthly subscription as per prescribed rates.

19.5 यदि कार्ड गुम हो जाता है तो सदस्य को दूसरा कार्ड बनवाने के लिए पुलिस-रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आश्रित से कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड लेने के लिए सदस्य अनुरोध करेगा।

19.5 If a card is lost the members has to apply for duplicate card along with copy of Police Report. In case of loss of card by dependent, a request is required from the member for duplicate card.

19.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख जो भी पहले हो, होगी। कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर सदस्य, विशेष रूप से आश्रित के लिए भुगतान पर नए कार्ड के लिए आवेदन करेगा और पुराना कार्ड वापस लौटाएगा।

19.6 Validity of dependent card for children is 5 years or the date of attaining the age of 21 years whichever is

earlier. On completion of 5 years from the date of issue of the card the member should apply for the fresh card specially for the dependent on payment and surrender the old card.

20. सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क सेवा कर एवं अंशदान शुल्क :

20. Entrance Fee Service Tax & Subscription Fee for Membership

प्रवेश-शुल्क एवं मासिक अंशदान की दरें निम्नलिखित हैं। इनमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। जून 2005 से प्रवेश शुल्क और मासिक अंशदान के साथ 10.2% सेवा कर देय होगा।

The following are the rates for entrance fee and monthly subscription. These are subject to revision from time to time. w.e.f. June 05, service tax @ 10.2% will be charged along with entry fee & monthly subscription

सदस्यता Membership	प्रवेश शुल्क Entry Fee (अप्रतिदेय) रु. Non Refundable)	मासिक अंशदान Monthly Subscription सदस्य (रु.) Members	आश्रित (रु.) Dependent	टिप्पणी Remarks
क. व्यक्तिगत सदस्यता				
(A) Individual Membership:				
भारतीय नागरिक				
a) Indian Citizen				
(1) सरकारी कर्मचारी (आश्रित सहित)	5000/-	120/-	50/-	
(i) Govt. Service**	10,000/-	120/-	50/-	60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 30/- प्रतिमाह तथा 60 से कम उम्र के लिए मासिक अंशदान प्रति या पत्नी 50/- और दूसरा आश्रित 50/- प्रति आश्रित
(2) अन्य (नैर सेवा)	1000/-	50/-	35/-	For age below 60 years Spouse Rs. 50/- & other Dependant Rs. 50/- each & for age above 60 years Rs. 30/-
(ii) Others (Non-Service)	2000/-	75/-	50/-	
(3) स्टाफ सदस्यता (दि.वि.प्रा.)			30/-	
(iii) Staff Membership (DDA Employee)				
(4) वरिष्ठ नागरिक				
(iv) Senior Citizen				
(5) विदेशी नागरिक	US \$ 1500/-	US \$ 50/-	\$ 15/-	
(b) Foreign Citizen	US \$ 1000/-	US \$ 120/-	\$ 50/-	रुपये के समकक्ष डॉलर (\$ equivalent in Rs.)
(6) अप्रवासी भारतीय				
(c) Non Resident Indian				
(d) Associate Membership	5000/-	120/-		आश्रित मान्य नहीं है।
(7) एसोसियेट सदस्यता				Dependent
(ख) नियमित सदस्यता (एक नामित)				Not entitled
B. Corporate Membership				आश्रित सहित
(1) भारतीय कंपनी	50000/-	500/-		
(i) Indian Company	US \$ 5000/-	US \$ 70/-	-	* Including dependent आश्रित सहित
(2) विदेश कंपनी	1000/-	-	120/-	* Including dependent प्रति आश्रित
(ii) Foreign Company				Per dependant
(ग) अस्थायी सदस्यता (केवल 3 महीनों के लिए)				
C. Temporary Membership (for 3 months only)				
(1) भारतीय नागरिक	1000/-	-	120/-	
(i) Indian Citizen	Exempted	120/-	50/-	
D. Spl. Honorary	-	40/-	20/-	
E. Absentee				

(2) विदेशी नागरिक	2000/-	-	120/-	
(ii) Foreign Citizen				
(घ) विदेशी अस्थायी (1 वर्ष)	2500/-	-	-	आश्रित सहित
(D) Spl. Temporary (1 year)				* Including dependent
(ड) विशेष मानद	छूट है	100/-	40/-	
(E) Spl. Honorary	Exempted			
(च) अनुपस्थित सदस्यता	शून्य	30/-	15/-	
(F) Absentee Membership	Nil			
(छ) अतिथि सदस्यता (सदस्य के साथ)	शून्य Nil	-	-	25/-प्रति दिन Rs. 25/-per day
(G) Guest Membership (accompanied with the member)				
(ज) आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो एवं खेलों)				
(H) Casual Membership (Pay & Play)				
(1) भारतीय नागरिक	-	-	-	40/-प्रति दिन
(i) Indian Citizen				Rs. 40/- per day
(2) विदेशी नागरिक	-	-	-	100/-प्रति दिन
(ii) Foreign Citizen				Rs. 100/- per day

टिप्पणी:- सभी प्रमारों/शुल्क में कोई सूचना दिए बिना परिवर्तन किया जा सकता है । सदस्यता का प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है
Note : All the charges/fee are subject to change without any notice. Entry fee of Membership is non-refundable

सरकारी कर्मचारी-केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायो अर्थात् दि.न.नि. नई दिल्ली नगर पालिका परिसर, दिल्ली जल एवं दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी ।

Govt. Servants-employees of Central Govt., State Govt., and local bodies i.e. MCD, New Delhi, Municipal Council, Delhi Jal Board & Delhi Vidyut Board

21. अंशदान का भुगतान :

21. Payment of Subscription

21.1 सदस्यों को कोई बिल नहीं भेजा जाएगा । खेल परिसर के लेखाकार/रोजिद्वारा को अंशदान की दर के अनुसार देय राशि बैंक द्वारा भेजी जा सकती है अथवा नकद भुगतान किया जा सकता है । सभी कार्य-दिवसों को प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 3 बजे तक भोजन-अवकाश (1 बजे से 2 बजे तक छोड़ कर) । अंशदान का भुगतान तिमाही, छः माह अथवा पूरे वर्ष के लिए अग्रिम रूप से किया जा सकता है ।

21.2 Bills will be sent to the members. Dues as per the rate of subscription may be sent by cheque or paid in cash to the Accountant/Cashier of the Sports Complex (between 10.00 AM to 3.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM on all working days). Subscription may be paid in advance for a quarter, six months or for full year.

21.2 सदस्य अन्य घटों में भी मासिक अंशदान या बैंक प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर रखे बैंक बॉक्स में डाल सकते हैं । बैंक के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें :-

21.2 Members may also drop the cheque of monthly subscription even in the odd hours in the Cheque Box affixed outside the Administrative Block with the following information on the back of the cheque:-

(1) सदस्य का नाम

(i) Name of Member

(2) सदस्यता संख्या

(ii) Membership Number

(3) आश्रितों की संख्या

(iii) Number of dependents

(4) भुगतान की अवधि

(iv) Period of payment

बैंक "सम्बन्धि खेल परिसर डी.डी.ए." के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखांकित होने चाहिए । बाहर के स्थानों के बैंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

The cheque must be crossed A/c payee only drawn in favour of concerned complex "Complex name DDA". Outstation cheques will not be accepted.

21.3 ऐसे बैंकों की रसीदें स्वागत कक्ष/प्रशासनिक ब्लॉक में लगे लघु बॉक्सों में उपलब्ध होंगी ।

21.3 Receipt of such cheques will be available at the Reception/ in Pigeon Box affixed in the Administrative Block.

21.4 बैंक डाक/कॉरियर द्वारा भी भेज सकते हैं । ऐसे बैंकों की रसीदें भी स्वागत कक्ष/लघु बॉक्स में उपलब्ध होंगी ।

21.4 Cheque may also be sent by post or through courier. The receipt of such cheques will also be available at the Reception/in Pigeon Box.